

(51)
24)

0

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. कब्जा करने वाले का नाम - श्री २०० के० राम, अमीर
2. पञ्चायत, तहसील एवं जिला - होले, सदर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - अन्नित, श्री ० के० राम - गोरखपुर।
4. कब्जा का नाम - गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवक भूमि सन्धि का निर्माण
5. कानून ४(१)/१९७३-ई की विनियम की तिथि - २२-११-२००३
6. कानून ६(१)/१९७३-डी की विनियम की तिथि - २७-१२-२००४
7. कब्जा अधिनियम की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री २०० के० राम, अमीर

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौज पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमिक	जग का नाम	खसरा सं०	अर्जन निकाय करने वाली सेवाकार सं० में
--------	-----------	----------	---------------------------------------

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - श्री २०० के० राम
फर नाम - अमीर
दिनांक - ०३/१०/०६

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - श्री २०० के० राम
फर नाम - अमीर
दिनांक - ३-१-०६

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

३
१५

गोरखपुर
गोरखपुर

(3) (9)
550

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राज्य छान का नाम - रामेश्वर कर्म सुवा कापूर
2. पालना, तहसील एवं जिला - हवेली, बारा, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सुविता, जो 10 नं० जो - गोरखपुर
4. कब्जा का नाम - जो 10 नं० जो आवासीय कालोनी का निर्माण
5. भाग 4(1)/17/3-एकी विज्ञापित तिथि - 22-11-2003
6. भाग 6(1)/17/3-बी की विज्ञापित तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा पंजीकृत की तिथि - 29-12-2006
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री कालीदास कुमार झा, 22 नं०, कमी

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमिक	ग्राम का नाम	खसरा नं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
--------	--------------	----------	---

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - श्री 22 नं० नारायण

पद नाम - अवर अभियन्ता

दिनांक - 29-12-06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - कालीदास कुमार झा

पद नाम - 22 नं०, कमी

दिनांक - 29-12-06

प्रति हस्ताक्षरित

29/12

गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

गोरखपुर
गोरखपुर

(2) 10

55

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - खोन्नावर ठमूरा खुवा बाजार
2. जामा, तहसील एवं जिला - हजारी, राहट, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - स्थायी, गौ० वि० प्र० - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गौ० वि० प्र० द्वारा छात्राधीन कृषिनी का निर्माण।
5. धारा 4(1)/17/3-एफ की दिनांकीति तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3-डी की दिनांकीति तिथि - 27-12-2004
7. कच्चा परिसर की तिथि - 29-12-2006
8. कच्चा देने वाले का नाम - श्री कृष्ण चंद्र कुमारी, गौ० वि० प्र०

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कच्चा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	प्लॉट सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	-----------	---

विभाग पीछे अंकित है।

कच्चा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - श्री कृष्ण चंद्र कुमारी

पद नाम - स्थायी कृषिनी

दिनांक - 29-12-06

कच्चा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - श्री कृष्ण चंद्र कुमारी

पद नाम - गौ० वि० प्र०, अर्जन

दिनांक - 29-12-06

श्री कृष्ण चंद्र कुमारी

गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

प्रतिहराजस्वर्ग
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

⊕ 4
552

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. ग्राम का नाम - सोरावाट उमि न्यूवा बाजार
2. परगना, जमीन एवं जिला - हजेली, सरा, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, जो. वि. प्र. 0 - गोरखपुर
4. कब्जा का नाम - जो. वि. प्र. 0 द्वारा कलासीय पतवारों का निर्माण
5. भाग 4(1)/17/3-एकी विज्ञापित तिथि - 22-11-2003
6. भाग 6(1)/17/3-डी की विज्ञापित तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 29-12-2006
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री राजेश कुमार राय / 2000, जमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमिक	ग्राम का नाम	खसत सं०	अर्जित निष्कासने वाले क्षेत्रफल बी० में
--------	--------------	---------	---

विवरण पीछे अधिकृत है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - जो. वि. प्र. 0 गोरखपुर
पद नाम - सचिव, जो. वि. प्र. 0
दिनांक - 29-12-06

श्री हस्ताक्षर

सचिव

गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - राजेश कुमार राय
पद नाम - 2000, जमीन
दिनांक - 29-12-06

प्रतिहस्ताक्षर

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

(12) A
553

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - खोराखार 66 एकाका गेहूँ
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, बखर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - ग्रामिण, मो० वि० प्रा० - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - मो० वि० प्रा० द्वारा आवासीय कॉलोनी का निर्माण।
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञप्तिकी तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 29-12-2006
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री स्वर्ध्वेष्टा कुमार राय

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित कियाजाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	----------	--

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

नाम - श्री स्वर्ध्वेष्टा कुमार राय

पद नाम - ग्रामिण अभियन्ता

दिनांक - 29-12-06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - स्वर्ध्वेष्टा कुमार राय

पद नाम - ग्रामिण अभियन्ता

दिनांक - 29-12-06

श्री स्वर्ध्वेष्टा कुमार राय

गोरखपुर विकास अभियन्ता

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

(8)4

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

554

1. एतद्वय पत्र का नाम - ब्योसवार उर्फ खुवा बाजार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सान्निह, जो० वि० प्रा० गोरखपुर
4. योजना का नाम - जो० वि० प्रा० द्वारा आवेसीय फलितनी कारकी
5. धारा 4(1)/17/3 की विनियुक्ति तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3 की विनियुक्ति तिथि - 27-12-2006
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री बरु के० राय, कमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमिक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
--------	--------------	----------	---

[Signature]

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - श्री. वि. पांडेय
पद नाम - अ. वि. म. म. म.
दिनांक - 03/9/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - श्री. वि. पांडेय
पद नाम - अ. वि. म. म. म.
दिनांक - 3-9-06

[Signature]
21/10/06
अ. वि. म. म. म.

विभाग अधिकारी गोरखपुर

अतिरिक्त अधिकारी
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

3/55

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर अधिकार पत्र

1. राजस्व छाप का नाम - खोरावार उपे खुवा बाजार
2. परगना, सहायस एवं जिला - खोरा, सहर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - अर्जन, जो ० वि० प्र० - गोरखपुर
4. योजना का नाम - जो ० विकास प्राधिकरण द्वारा खोराबाजार के लिये का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3 एकी विज्ञापित तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3 बी की विज्ञापित तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री २० के० राय, मनी०

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमसं	प्लॉट का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
--------	--------------	----------	---

विवरण छेडे अधिकृत है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - श्री. नि. पांडेय
पद नाम - 
दिनांक - 03/9/06


24/11/06
विभाग अधिकारी गोरखपुर

अनुरोध कुमार राय
कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - अनुरोध कुमार राय
पद नाम - श्री. अमीत
दिनांक - 3-9-06

प्रतिद्वाराक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

556

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - खोरावार उपे मुन्ना बाजार
2. पागना, तहसील एवं जिला - हवेली, सहर, गोरखपुर
3. अर्जन विभाग का नाम - सन्निव, गोरखपुर
4. राजस्व का नाम - गोरखपुर द्वारा कानूनी कार्रवाई
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञापित की तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञापित की तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री एन के राय, मनीष

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
 गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

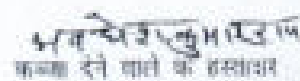
क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	----------	---

विवरण नीचे अंकित है।

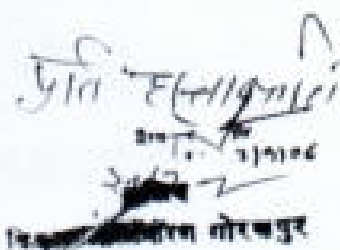


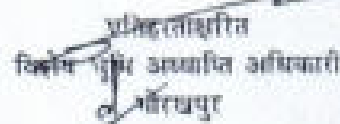
कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - एन के राय
 पद नाम - सहायक
 दिनांक - 02/01/06



कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
 नाम - एन के राय
 पद नाम - सहायक
 दिनांक - 3-1-06


 गोरखपुर


 गोरखपुर

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राजस्व गांव का नाम - खीरावार - छप्रा न्यूवा बाजार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, बुंदेल, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - सावित्र, गो. नं. 00 सा. 0 - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गो. नं. 00 सा. 0 द्वारा कावासीय कॉलोनी का निर्माण।
5. धारा 4(1) की विज्ञापित तिथि - 22-11-2003
6. धारा 6(1) की विज्ञापित तिथि - 27-12-2004
7. कब्जा परिचालन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री 00 के. 0 राय, कमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमिक	गांव का नाम	खसरा सं.	अर्जित विभाग/अर्जन निकाय के मौके पर
--------	-------------	----------	-------------------------------------

विवरण छोड़े अधिकारी है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - श्री. नि. प. 00
पद नाम - अध. 00
दिनांक - 03/01/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - श्री. नि. प. 00
पद नाम - अध. 00
दिनांक - 03-01-06

श्री. हस्ताक्षर
नाम - श्री. नि. प. 00
पद नाम - अध. 00
दिनांक - 03/01/06
विभाग अधिकारी गोरखपुर

प्रतिनिधित्व अधिकारी
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

558

61

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. गन्तव्य नाम का नाम - नैरोदावार ऊपर खुवा बाजार
2. परगना, जमीन एवं जिला - हवेली, ब्राह्म, जोरखपुर।
3. अर्जन विभाग का नाम - साप्पव, गो० वि० प्रा० - जोरखपुर।
4. योजना का नाम - जोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खानाबोली कालो
5. धारा 4(1)/17/3 की विनियमिता विधि - 22-11-2003 का निर्माण।
6. धारा 6(1)/17/3 की नवी विनियमिता विधि - 27-12-2004
7. कब्जा परिचालन की विधि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री ब्र० के० ब्राह्म, माली।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
 गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन विभाग को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	नाम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	------------	----------	---



विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले की हस्ताक्षर
 नाम - श्री. वि. 41034
 पद नाम - 20/1/11/100
 दिनांक - 03/11/06

अवरोध कुमार सि
 कब्जा देने वाले की हस्ताक्षर
 नाम - अवरोध कुमार सि
 पद नाम - 72 अ. माली
 दिनांक - 3-1-06


 21/1/06
 अधिकारी

विभाग अधिकारी गोरखपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
 गोरखपुर

कार्यालय: विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०) गोरखपुर।

-: अभिनिर्णय :-

1-	तार सं०-	1372/2002
2-	ग्राम,ताप्पा,परगना,तहसील व जिला-	खोराबार चर्क सूबाबाजार, हवेली, सदर व गोरखपुर।
3-	अर्जन निकाय का नाम-	सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
4-	अध्याप्ति का प्रयोजन-	सुनिर्वाचित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि का स्थायी अर्जन।
5-	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र-	32.358 हे०
6.ए-	स्थान आदेश से प्रभावित क्षेत्र-	01.062 हे० ✓
6.बी-	करार नियमावली के अन्तर्गत क्षेत्रफल-	10.19896 हे०
6.सी-	अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत क्षेत्रफल-	20.64204 हे०
6-	क्या भूमि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है?	हां
7-	क्या धारा-17(1) लागू है ?	हां
8-	धारा-4(1)/17 की अधिसूचना की संख्या/तिथि	संख्या-355/9-आ-3-2003-09एल०ए०-2003 लखनऊ 22 नवम्बर, 2003
प्रकाशन:-		
	(क) उ०प्र० असाधारण गजट	दिनांक 22.11.2003
	(ख) दैनिक गोरखपुर मेल	दिनांक 16.12.2003
	(ग) राष्ट्रीय सहारा	दिनांक 16.12.2003
	(घ) पब्लिक नोटिस	दिनांक 31.12.2003
9-	धारा-6 (1)/17 की अधिसूचना की संख्या/तिथि	संख्या-48523आ/8-3-2003-09एल०ए०-03 लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2004
प्रकाशन:-		
	(क) उ०प्र० असाधारण गजट	दिनांक 27.12.2004
	(ख) स्वतंत्र चेतना	दिनांक 30.12.2004
	(ग) राष्ट्रीय सहारा	दिनांक 30.12.2004
	(घ) पब्लिक नोटिस	दिनांक 30.12.2004
10-	अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक-	03.09.06 व 29.12.06
11-	अभिनिर्णय का दिनांक-	12.07.2010
12-	निर्धारित प्रतिकर-	क. भूमि का प्रतिकर (करार नियमावली-1997) मु०- 2,85,57,088.00 ख. भूमि का प्रतिकर (अनिवार्य अर्जन से) मु०- 3,23,05,291.93 ग. राप्ति का प्रतिकर शून्य घ. 30% सोलिडिथिग मु०- 96,91,587.58 ङ. 12% अतिरिक्त प्रतिकर मु०- 1,07,88,739.10
योग:-		मु० 08,13,42,706.61
13-	भूमि अध्याप्ति व्यय	मु० 81,34,271.00 रुपये
14-	व्याज की छनराशि-	नियमानुसार देय है।
15-	पूजीकृत मूल्य-	1,29,819.00 रुपये

[Signature]

—: अभिनिर्णय का औचित्य :-

सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप से 32.358 हे० भूमि ग्राम-खोराबार उर्फ सूबाबाजार तथा व परगना-हवेली, तहसील-सदर जिला-गोरखपुर में अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जांचोपरांत शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परिक्षणोपरांत अपने आदेश सं०-355/9-आ-3-2003-09 एल०ए०/2003 लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर, 2003 को धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 22.11.2003 व दो स्थानीय समाचार पत्र गोरखपुर मेल व राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 18.12.03 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 31.12.03 को करायी गयी। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 31.12.03 को निर्धारित किया गया।

धारा-6(1)/17 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति सं०-4852/8-आ-2003-09 एल०ए०/2003 लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 को जारी किया गया। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 27.12.04 व दो समाचार पत्र "स्वतंत्र चेतना" एवं "राष्ट्रीय सहारा" में दिनांक 30.12.04 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 30.12.04 को करायी गयी। इस प्रकार धारा-6(1) के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक 30.12.04 निर्धारित किया गया।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करके भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत भूमि की नाप जोख करायी गयी। तत्पश्चात धारा-9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु दिनांक 28.04.05 व 27.04.05 नियत करके आपत्ति की सुनवाई की गयी।

चूंकि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17(1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अध्याप्ति निकाय से प्राप्त हुआ था। इसलिए नियमानुसार अनुमानित प्रतिकर मु० 13,13,628.90 प्रति हे० के आधार पर सम्बंधित कृषकों को 80 प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर का भुगतान/आफर करते हुए भूमि का अधिकार निम्न तिथियों में अध्याप्ति निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को हस्तान्तरित किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है:-

कब्जा हास्तान्तरण का दिनांक	हस्तान्तरित क्षे. (हे० में)
03.09.06	22.071 हे०
29.12.06	8.770 हे०
योग:-	30.841 हे०

अधिकार हस्तान्तरित भू क्षेत्र के अतिरिक्त कतिपय मूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका दाखिल की गयी है। जिसमें मा० न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित 1.062 हे० के अधिकार हस्तान्तरण

Bhikshu

की कार्यवाही नहीं की गयी है, और न ही अभिनिर्णय में शामिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका/सि0मि0रिट पिटिशन का विवरण निम्नवत है :-

क्रमांक	वाद संख्या/रिट याचिका सं0/वि0 अनुज्ञा सं0	न्यायालय का नाम	वादी/प्रतिवादी	प्रभावित गाटा सं0/ क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3	4	5
1	7684 / 2007	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	राजन प्रसाद बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	949 / 0.118 हे0 में से 0.085 हे0
2	1737 / 2007	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	आरती राय व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	872 / 0.016 हे0 847 / 0.048 हे0
3	131512 / 2007	उपरोक्त	प्रभावती राय व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	803 मि0 / 0.081 हे0 804 मि0 / 0.081 हे0
सम्पूर्ण योग:-				0.351 हे0

रिट याचिका सं0 61387 / 2005 संतोष कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.09.05 को निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय में तथ्य को छिपाकर याची द्वारा आदेश प्राप्त किया गया था। इसलिए उक्त निर्णय के सम्बंध में पुनः उ0प्र0 सरकार की ओर से रिव्यू/रिकाल प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.06 को दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इसलिए अधिकार हस्तान्तरण/अभिनिर्णय की कार्यवाही रिट याचिका में सम्मिलित आ0 सं0 936 रकबा 0.194 हे0, 937 रकबा 0.194 हे0 व 954 रकबा 0.383 हे0 भूमि पर नहीं की गयी है।

धारा-9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु नियत तिथि को श्री मुराली पुत्र लौहर प्रसाद, श्रीमती अतवाशी देवी पत्नी श्री लालजी, सुन्दर लाल वर्मा, दिनेश चन्द्र, रविश चन्द्र, रत्नेस चन्द्र पुत्रगण पड़ोही, लाल राजनरायन पुत्र हीरा, कुमारी सत्यभामा, सूर्यप्रकाश, वेद प्रकाश पुत्रगण कृष्ण, मुरारी, दुर्गा प्रसाद शुक्ला, विपिन विहारी शुक्ला, फुलमती देवी, प्रतिभा त्रिपाठी, रमाशंकर पाण्डेय, विमला पाठक, अनिल कुमार मिश्र पुत्र हृदय शंकर मिश्र, संतोष कुमार मिश्रा पुत्र राज किशोर मिश्रा, प्रेम शंकर, रामधारी, श्रीराम, राजवंशी, गुलाब चन्द्र वर्मा, ज्वाला, श्रीमती मेवाती, कौशल्या देवी, जवाहीर, हन्सा यादव, रामसकल, गेनिया, हरीलाल, जयश्री, चित्रकुट आदि रामदुलारे आदि, रामलखन, बलराम शर्मा, सुशीला यादव व उर्मिला पाण्डेय, श्रीमती तिरताजी, श्रीमती तिरथी, सीमा जयसवाल, कुसुम दुबे, अक्षय नारायण, जगत नारायण, निर्मला देवी, हरीलाल, फागू राम, विश्वनाथ, शेषनाथ, रामेश्वर मिश्र, छेदी, शम्भु प्रसाद मिश्र, अक्षेश कुमार, मीना सिंह, प्रभुनाथ यादव, राजमन आदि रामचन्द्र, ललई चौधरी, महाराजा, विजली पारी, रामरूप, शिक्षा निकेतन खोराबार के प्रबंधक सत्यनारायण प्रसाद आदि, रामाश्रय, मोलई व सुराती देवी, लाल विहारी, नाशपाती देवी, राम बेलास, राम दौड़, छेदी लाल, मुन्नी लाल, जोखू आदि, पूनम सिंह, धूरपतरी, मोहन लाल, भगवत कुमार, रामकवल, मोलई आदि, बाबू लाल, राम प्रसाद आदि, श्रीमती कवलपाती देवी व श्रीमती गंगरावती देवी, अमर नाथ, राजकुमार, सुभाष चन्द्र, राजेश कुमार, राम नरेश, शिवनाथ, रामनेवास, शम्भू, सदल, तुफानी आदि ने इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि प्रार्थना पत्र से सम्बंधित भूमि एवं मकान आदि का अधिग्रहण औचित्य पूर्ण विधि सम्मत न होने के कारण मानवीय तथा सदाशयता पूर्ण दृष्टि से अर्जन की कार्यवाही से अवमुक्त करने की कृपा की जाय। उल्लिखित प्रस्ताव में धारा-17 लागू है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के संरक्षण के अन्तर्गत स्थित है। इसलिए नियमानुसार भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार इनके प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाता है।

12/11/07

श्रीमती लीलावती देवी, श्री राजेश कुमार शर्मा, श्रीमती विमलेश कुमार त्रिपाठी, श्री रामेश्वर, श्री रवि कुमार सिंह, श्रीमती नन्दरानी मिश्रा, शम्भू मिश्रा, श्रीमती मेवाती देवी, ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भूमि का बैनामा लिया गया है और खतीनी में अमलदशमद भी हो गया है। अभी तक बिकेंतागण का नाम अंकित है, जबकि प्रार्थीगणों द्वारा बैनामा लिया गया है। पूर्वाधिकारी द्वारा बैनामों के आधार पर नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश किया जा चुका है। उक्त आदेश के आधार पर नाम अंकित कर दिया गया है। प्रार्थीगणों के नाम प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा। श्रीमती विमलावती देवी, श्रीमती गीता देवी, श्री अजय आनन्द द्विवेदी, श्री हरिवंश यादव, श्रीमती माया मिश्रा, हरिहर प्रसाद यादव, श्रीमती प्रेमशीला पत्नी निरन्जन, श्रीमती इन्दू राय, ने प्रार्थना पत्र दिया है कि हम लोगों द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का बैनामा लिया गया है। अभी तक हम प्रार्थीगणों का नाम अंकित नहीं किया गया है। साक्ष्य में बैनामों की छाया प्रति संलग्न किया गया है। प्रतिकर वितरण के समय इस सम्बंध में निर्णय पारित किया जायेगा।

श्री हरिहर प्रसाद यादव, श्रीमती माया मिश्रा पत्नी श्री दिवाकर मिश्रा, श्री संतोष गणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी महोदय को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि आराजी नं० 559 में भूमि कय कर मकान का निर्माण कराकर प्रार्थीगणों द्वारा निवास किया जा रहा है। अविग्रहण से प्रार्थीगण बेघर हो जायेंगे। इन प्रार्थना पत्रों की जांच करायी गयी। जांच में पाया गया की प्रार्थीगणों का कथन सत्य है। जांच में यह भी पाया की सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जो संरेखण किया गया है। उसमें आराजी सं० 559 रकबा 0.135 हे० संरेखण से दूर है। इस आशय की आख्या जिलाधिकारी, महोदय को प्रस्तुत की गयी। तत्कालीन विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी, गोरखपुर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के वार्ता के अनुसार आराजी सं० 559 रकबा 0.135 हे० भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया और सचिव विकास प्राधिकरण गोरखपुर से भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-48 के अन्तर्गत विज्ञप्ति निरसन का प्रस्ताव पत्र सं० 606 दिनांक 21.02.06 पत्र सं० 730 दिनांक 13.04.06 पत्र सं० 1050 दिनांक 13.06.06 पत्र सं० 1312 दिनांक 24.07.06 व पत्र सं० 2090 दिनांक 15.11.06 द्वारा मांगी गयी। विकास प्राधिकरण गोरखपुर से विज्ञप्ति निरसन प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ और उल्लिखित नम्बरान में जारी विज्ञप्ति स्वतः कालबाधित हो गयी। इसलिए अर्जन सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी।

श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव ने महामहिम राज्यपाल महोदय को सम्बोधित इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि प्रार्थिनी आराजी सं० 175 व 176 मि० रकबा 0.008 हे० अर्थात् 0.02 हे० भूमि स्थित मौजा-खोराबार उर्फ सूराबाजार, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर का भूमि पर 2 कमरा बना कर पूरा परिवार रहने का उल्लेख किया गया यह भी उल्लेख किया गया कि प्रार्थिनी के पति श्री मिथलेश कुमार श्रीवास्तव टी.बी. के मरीज है, और प्रार्थिनी मजदूरी करके पूरे परिवार का भरण पोषण करती है। प्रार्थिनी द्वारा यह बताया गया कि दो लड़के एक लड़की श्वेता हैं, जो मानसिक रोग से ग्रस्त है, तथा एक लड़का पवन कुमार बेरोजगार है। तथा दूसरा लड़का पंकज कुमार विकलांग है। विकलांगता का प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है। उक्त आधार पर उल्लिखित भूमि को अर्जन मुक्त करने हेतु आया प्रति प्रस्तुत की गयी है। उक्त आधार पर उल्लिखित भूमि को अर्जन मुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसकी जांच इस कार्यालय के अमीन द्वारा करायी गयी। जांच में पाया गया कि प्रार्थिनी द्वारा आराजी सं० 175 मि० रकबा 0.374 हे० व 176 मि० रकबा 0.050 हे० में से 0.008 हे० भूमि कय की गयी है। जो प्रार्थिनी के नाम अभिलेख में अंकित है। प्रार्थिनी द्वारा अपने जमीन पर 25 फीट × 11.6 फीट में सीमेन्ट शेड का निर्माण किया गया है। जिसकी दिवाल पक्के ईंट व सीमेन्ट से बनाई गयी है। शेड बची हुई जमीन का उपयोग सहन के रूप में किया जा रहा है। प्रार्थिनी अपने परिवार सहित उक्त निर्माण में रह रही है। जिसकी जांच तहसीलदार सदर से करायी गयी। उक्त जांच आख्या की पुष्टि तहसीलदार द्वारा की गयी। तथा भूमि अर्जन

Signature

से मुक्त किया जाना न्यायोचित बताया गया। सम्पूर्ण तथ्यों से जिलाधिकारी महोदय को दिनांक 19.07.05 को अवगत कराते हुए आराजी सं० 847 रकबा 0.0088 हे० भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी। जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी, महोदय द्वारा दिनांक 05.08.05 को प्रदान की गयी। इस कार्यालय के पत्र सं० 1053 दिनांक 13.06.06 द्वारा सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर विज्ञप्ति निरसन प्रस्ताव की मांग की गयी। जिसे प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। उल्लिखित नम्बरान में जारी विज्ञप्तियां कालबाधित हो गयी। इसलिए आराजी सं० 847 रकबा 0.0088 हे० में भूमि अर्जन सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी और अधिकार भी हस्तान्तरित नहीं किया गया है।

घास-9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु नियत तिथि को सम्बंधित कृषकों द्वारा अपनी भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के पूर्व ही कतिपय कृषकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वाद योजित किया जिसमें मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णय पारित किया गया कि याची भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ प्रतिवादी सं०-01 के समक्ष प्रस्तुत करें।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित वाद जिनमें मा० न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश निर्गत किया गया है, के अनुसरण में तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-3 लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, का विवरण निम्नवत् है -

क्र. सं.	याचिका सं०	पक्षकार का नाम	प्रभावित गाटा सं०/क्षेत्रफल हे०	निर्णय का दिनांक	प्रमुख सचिव द्वारा प्रत्यावेदन का निस्तारण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	36833/05	राजेश कुमार शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	831,832/2052.5 वर्गफुट	23.05.05	22.12.05	
2	65987/05	अनिल कुमार मिश्रा व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	839/1308 वर्गफुट	17.10.05	19.12.05	
3	36622/05	बृजेश प्रसाद व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार	839/4000 वर्गफुट	17.10.05	15.12.05	
4	39173/05	सल्लन आदि बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	784/0.357 हे० 785ख/0.025 हे० 780/0.286 हे०	23.05.05	22.12.05	
5	7343/05	प्रमुनाथ यादव बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	880/0.704 हे०	06.05.05	12.01.06	
6	42518/05	हरिवंश यादव बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	818/0.029 हे०	25.05.05	-	
7	37112/05	श्रीमती शीला देवी यादव बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	814/0.028 हे० 816/0.028 हे०	30.09.05	27.12.05	

Signature

8	63982/05	राम जनम सिंह बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	804/0.081हे०	23.09.05	15.12.06	
9	39573/05	रामचन्द्र मिश्रा व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	840/2200वर्गफुट 803/0.081हे० 804/0.081हे०	23.05.05	15.12.06	
10	40864/05	श्रीमती नीलम गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	837/0.05डि०	23.05.05	14.08.05	
11	39466/05	श्री राम व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	941/0.024हे० 942/0.499हे०	23.05.05	22.12.05	
12	35162/05	भगवान सिंह व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	468/887/0.868हे० 469/0.571हे०	23.05.05	26.12.06	
13	39274/05	आरती राय व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार	872/0.016हे० 847/5232वर्गफुट	23.05.05	22.12.05	
14	38622/05	बृजेश प्रसाद सिंह व अन्य आदि बनाम उ०प्र०सरकार	840/1500वर्गफुट	23.05.05	-	
15	39573/05	रामचन्द्र मिश्रा व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार	838/800वर्गफुट 837/4360वर्गफुट 840/4360वर्गफुट 839/1744वर्गफुट	23.05.05	22.12.06	
16	40864/05	नीलम गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार	796/0.5 $\frac{1}{2}$ डि०	23.05.05	27.12.06	
17	71688/05	रामहरख बनाम उ०प्र०सरकार	961/0.103हे०	22.11.05	26.12.06	
18	71688/05	श्रीमती प्रतिमा तिवारी बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	836/0.06डि०	22.11.05	22.12.06	
19	73899/05	श्रीमती द्रोपती देवी बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	770/0.082हे०	05.12.05	26.12.06	
20	73899/05	धुवफत्ती देवी व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	847/2625वर्गफुट	05.12.05	15.12.06	
21	72740/05	श्रीमती सूरत देवी व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	833/0.055हे०	28.11.05	22.12.06	
22	72740/05	श्रीमती सूरत देवी व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	833/0.028हे०	28.11.05	22.12.06	
23	72740/05	श्रीमती निर्मला देवी व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	833/0.024हे०	28.11.05	22.12.06	
24	72740/05	श्रीमती सविता देवी व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	833/0.024हे०	28.11.05	26.12.06	
25	72740/05	अरुण व अन्य बनाम	833/0.008हे०	28.11.05	22.12.06	

13/1/2007

26	72740/05	श्रीमती चानमती देवी बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	833/0.06डि०	28.11.05	26.12.06	
27	72740/05	श्रीमती सूरत देवी व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	833/0.016डि० 790/0.436डि०	28.11.05	22.12.05	
28	75024/05	लीलावती देवी बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	837/2000वर्गफुट	19.12.05	22.12.06	
29	75022/05	स्मार्शकर शुक्ला व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	836/0.12डि०	09.12.05	22.12.06	
30	74614/05	राज नारायण गुप्ता बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	842/0.03डि०	07.12.05	26.12.06	
31	65997/05	अविनाश सिंह बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	839/0.23डि०	17.10.05	28.12.06	
32	71663/05	श्रीमती रेनु त्रिपाठी बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	832/0.03डि०	22.11.05	28.12.06	
33	74497/05	सत्यमाया बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	834/0.033डि०	07.12.05	22.12.06	
34	61531/05	राजन प्रसाद बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	949/0.085डि०	16.09.05	15.12.06	
35	72740/05	मदन प्रसाद व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	867/0.10डि०	28.11.05	26.12.06	
36	76558/05	श्रीमती किरन व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	960मि०/0.065डि०	16.12.05	26.12.06	
37	76558/05	अमरजीत सिंह व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	471/0.568डि०	16.12.05	26.12.05	
38	78642/05	मोहित व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	847/0.424डि० 798/0.596डि० 473/0.122डि०	02.01.06	26.12.06	
39	1495/06	श्रीमती सुशीला देवी व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	770/8482वर्गफुट	10.01.06	26.12.06	
40	73623/05	श्रीमती कौशल्या देवी बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	844/0.06डि०	02.12.05	22.12.06	
41	2881/06	मोल्ई व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	827/0.359डि०	17.1.06	22.12.06	
42	2881/06	जगत नारायण व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	837/0.50डि०	17.01.06	22.12.06	
43	2881/06	जवाहर व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	849/0.56डि०	17.01.06	22.12.06	
44	4478/06	छेदी व अन्य बनाम	883/0.735डि०	24.01.06	22.12.06	

Bhishu

		उ०प्र०सरकार व अन्य				
45	4478/06	छेदी व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	867/0.093हे०	24.01.06	22.12.06	
46	4478/06	श्रीमती चन्दकला देवी व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	867/0.081हे०	24.01.06	22.12.06	
47	4478/06	रामकैवल व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	946/0.164हे०	24.01.06	22.12.06	
48	76638/06	दिनेश चन्द्र आदि बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	976/0.147हे० 775/0.526हे०	02.01.06	26.12.06	
49	1498/06	दुर्गा प्रसाद आदि बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	796/0.800हे० का 1/3भाग	19.12.06	—	
50	73623/05	कौशल्या देवी बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	849/4560वर्गफुट	02.12.05	—	
51	5936/06	रामाश्रय शीरसिया व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	833/0.024हे०	31.01.06	26.12.06	
52	76361/05	श्रीमती कौलपति देवी बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	806/2/ 0.06डि०	16.12.05	22.12.06	
53	906/06	सत्य प्रकाश मिश्रा बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	806/0.23डि०	06.01.06	26.12.06	
54	13126/06	श्रीमती मेवाती देवी व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	844/2450वर्गफुट 873/0.159हे०	03.03.06	15.12.06	

उपरोक्त सन्दर्भित याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा याचिका कर्ता के प्रत्यावेदन का निस्तारण विभिन्न तिथियों में किया गया है। जिसके अनुसार भूमि को अधिग्रहण से मुक्त न करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, शासन द्वारा लिये गये निर्णय से मैं सहमत हूँ। कुल 54 प्रत्यावेदनों में से 50 के निस्तारण की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, शेष चार प्रत्यावेदनों के निस्तारण की सूचना पञ्जावली पर उपलब्ध नहीं है। चूँकि इन याचिकाओं के प्रत्यावेदनों में निहित भूमि पर मा० उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश पारित नहीं है, तथा इनका कब्जा अर्जन निकाय को हस्तगत किया जा चुका है। अतएव उक्त भूमि को अभिनिर्णय में सम्मिलित कर प्रतिकर का निर्धारण किया गया है।

—: अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण :—

अध्याप्ति की गयी भूमि के प्रतिकर का निर्धारण किये जाने हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1) के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 31.12.03 से एक वर्ष पूर्व की अवधि के मध्य निष्पादित विक्रय पत्रों का संकलन सब रजिस्टार कार्यालय, सदर, गोरखपुर से कराया गया। जिसमें कुल 147 विक्रय पत्र निष्पादित हुए हैं। जिनका विवरण अनुसूची-2 पर अंकित है।

मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा अनुमानित 80 प्रतिशत अग्रिम प्रतिकर के निर्धारण हेतु ग्राम खोराबार उर्फ सूबाबाजार में उपयुक्त बैनामा न मिलने पर जं० सिकरी उर्फ खोराबार में धारा-4(1) की तिथि से एक वर्ष पूर्व में निष्पादित हुए बैनामों में से चयन कर विक्रय पत्र सं०-18 को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किया गया। उक्त अवधि में कुल 129 विक्रय पत्र पाया गया है। उक्त बैनामों के आधार पर 80 प्रतिशत अग्रिम प्रतिकर की स्वीकृत जिलाधिकारी, महोदय से प्राप्त कर वितरण की कार्यवाही की गयी है।

(Signature)

शासनादेश सं० 1718/1-13-01-20(124)/01-रा०-13 दिनांक 29.09.01 के अनुपालन में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का दर निर्धारण करने हेतु जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों का बैठक कमरा दिनांक 15.11.08 व 16.11.08 को सम्पन्न हुआ। जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

1- अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत ग्राम-खोराबार उर्फ सुबाबाजार के अनुसूची-2 में संकलित 147 विक्रय पत्रों में से क्रमांक-71 पर अंकित विक्रय पत्र को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किया गया। जिसके द्वारा दर प्रति हे० 15,65,024.19 रुपया एक समान दर से प्रतिकर निर्धारित किया गया। जिसकी स्वीकृति मा० आयुक्त, महोदय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा दिनांक 10.12.08 को प्रदान की गयी।

2- ग्राम-खोराबार उर्फ सुबाबाजार की अधिग्रहीत भूमि से प्रभावित भू-स्वामी करार के आधार पर प्रतिकर लेना चाहता है, तो करार निष्पादित होने की दशा में उस भू-स्वामी को भूमि का प्रतिकर दर एक मुस्त 28,00,000.00 रुपया प्रति हे० निर्धारित किया जाता है। जिसकी स्वीकृति मा० आयुक्त, महोदय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के द्वारा दिनांक 10.12.08 को प्रदान की गयी है।

समिति द्वारा अनिवार्य अर्जन एवं करार के अन्तर्गत भुगतान किये जाने हेतु निर्धारित दर जिसकी स्वीकृति मा० आयुक्त, महोदय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा प्रदान की जा चुकी है, से मैं सहमत हूँ।

—: सम्पत्ति का प्रतिकर :-

अधिग्रहीत की गयी भूमि व उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के साथ भूमि के अधिकार हस्तान्तरण की कार्यवाही दिनांक 03.09.06 रकबा 22.071 हे०, दिनांक 29.12.06 रकबा 8.770 हे० का किया गया। भूमि पर स्थित सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बंध में सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ने अपने पत्र सं० 1053/तेरह-भू-अर्जन/ गो०वि०प्रा०/2007-08 दिनांक 08.02.08 द्वारा यह अवगत कराया गया कि "कब्जा हस्तान्तरण के समय पाये गये निर्माण जिलाधिकारी से बिना अनुमति प्राप्त किये और प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये ही कराये गये हैं, ऐसे अवैध निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण में अवैध निर्माण वाद कायम करके कार्यवाही की जा रही है, साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि ऐसी परिस्थिति में उक्त निर्माण का मूल्यांकन कराने अथवा प्रतिकर भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है।"

अतः सम्पत्ति के प्रतिकर निर्धारण के सम्बंध में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08.02.08 के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्ति के प्रतिकर का निर्धारण एवं वितरण नहीं किया जायेगा। प्राधिकरण स्वतः सम्पत्ति की जांच करके नियमानुसार प्रतिकर के निर्धारण/भुगतान की कार्यवाही करेगा।

—: करार द्वारा प्रतिकर का निर्धारण :-

करार द्वारा प्रतिकर निर्धारण हेतु मु० 28,00,000.00 रुपया प्रति हे० का दर निर्धारित किया गया। जिसके अनुसार गणना निम्नवत् है :-

अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक	करार से अधिग्रहण भूमि का क्षेत्रफल	प्रतिकर	80 प्रतिशत	अवशेष देय प्रतिकर
1	2	3	4	5
03.09.06	8.450986	23,66,26,08.00	89,11,941.89	1,47,50,746.11
29.12.08	1.74800	48,94,400.00	18,53,793.29	30,40,606.71
सम्पूर्ण योग:-	10.198986	2,85,57,088.00	1,07,65,785.18	1,77,91,352.82

Signature

— अनिवार्य अर्जन द्वारा प्रतिकर का निर्धारण —

अनिवार्य अर्जन के लिए प्रतिकर निर्धारण हेतु मु० 15,65,024.19 रु० प्रति हे० का दर का एक समान दर से निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार गणना निम्नवत् है:-

अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक	क्षेत्रफल (हे० में)	प्रतिकर	30 प्रतिशत सोलेशियम	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर	योग
1	2	3	4	5	6
03.09.06	13.62004	2,13,15,692.07	63,94,707.62	68,39,709.19	3,45,50,108.88
29.12.06	7.02200	1,09,89,599.86	32,96,879.96	39,49,029.91	1,82,35,509.73
अनिवार्य से :-	20.64204	3,23,05,291.93	96,91,587.58	1,07,88,739.10	5,27,85,618.61
करार से :-	10.19896	2,85,57,088.00	—	—	2,85,57,088.00
पूर्ण योग:-	30.841	6,08,62,379.93	96,91,587.58	1,07,88,739.10	8,13,42,706.61

अतः उपरोक्त निर्धारित दर के अनुसार ग्राम-खोराबार उर्फ सुवाबाजार, तप्पा-हवेली, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में अधिग्रहित की गयी करार नियमावली-1997 के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि 28,00,000.00 रुपया प्रति हे० की दर से मु० 2,85,57,088.00 रुपया रकबा 10.19896 हे० के लिए व अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत एक समान दर 15,65,024.19 रुपया की दर से प्रभावित क्षेत्रफल 20.64204 हे० का प्रतिकर मु० 3,23,05,291.93 रुपया, 30 प्रतिशत सोलेशियम मु० 96,91,587.58 रुपया व 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर मु० 1,07,88,739.10 रुपया कुल योग मु० 5,27,85,618.61 रुपया तथा सम्पूर्ण योग मु० 8,13,42,706.61 रुपया निर्धारित करता है।

अध्याप्ति व्यय :- प्रतिकर की कुल अभिनिर्णित धनराशि मु० 8,13,42,706.61 रु० का 10 प्रतिशत की दर से मु० 81,34,270.66 पूर्णांक में मु० 81,34,271.00 रुपया अध्याप्ति व्यय के रूप में अध्याप्ति निकाय से वसूल कर नियमानुसार राजस्व खाते में जमा किया जायेगा।

पूँजीकृत मूल्य :- अर्जित भूमि का भू-राजस्व रुपया 885.46 का 150 गुना रु० 1,29,819.00 राज्य सरकार के राजस्व खाते में क्षतिपूर्ति हेतु अध्याप्ति निकाय से वसूल कर जमा किया जायेगा।

अतः मैं राम अभिलाष, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) गोरखपुर ग्राम-खोराबार उर्फ सुवाबाजार, तप्पा व परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला- गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी 30.841 हे० भूमि (करार + अनिवार्य) का प्रतिकर 30% सोलेशियम व 12% अतिरिक्त प्रतिकर सहित मु० 8,13,42,706.61 रुपये का अभिनिर्णय घोषित करता हूँ। अभिनिर्णित धनराशि में से पूर्व निर्धारित/वितरित 80% अनुमानित अग्रिम प्रतिकर को घटा कर 30% सोलेशियम जोड़कर नियमानुसार ब्याज का निर्धारण अभिनिर्णय/प्रतिकर वितरण की तिथि तक देय है। निर्धारित ब्याज की धनराशि में से नियमानुसार आयकर की कटौती करके, सम्बंधित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। अभिनिर्णित धनराशि का पूर्ण विवरण भू अर्जन प्रपत्र-11 व अनुसूची-3 में अंकित है, जो इस अभिनिर्णय का अंग होगा।

स्थान :- गोरखपुर।

दिनांक :- 12.07.2010

(Ritish)
(राम अभिलाष)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं.सं.) गोरखपुर।

परिशिष्ट-3

याम-खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना-हवेली, तहसील-सादर, जिला-गोरखपुर।
परियोजना का नाम:- सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा आवासीय कारोमी बनाने हेतु।

क्रमिक	अंतिम क्षेत्रफल (हे.मी)	कच्चा की सिद्धि	दर प्रति हे०	प्रतिकर	30 प्रतिशत सोलरशिफ्ट	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर	योग	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13.62004	03.09.06	15.65.024.19	2,13,15,692.07	63,94,707.62	38,39,709.18	3,46,50,106.00	धारा-4(1) की अधिन विधि 31.12.03 से अधिकार हस्तान्तरण के दिनांक 03.09.06 तक 97% दिन का 12% वार्षिक की दर से कायम-6 की धनराशि पर अतिरिक्त प्रतिकर की गणना की गयी है। धारा-4(1) की अधिन विधि 31.12.03 से अधिकार हस्तान्तरण के दिनांक 29.12.06 तक 108% दिन का 12% वार्षिक की दर से कायम-5 की धनराशि पर अतिरिक्त प्रतिकर की गणना की गयी है।
2	7.022	29.12.06	15.65.024.19	1,09,89,599.86	32,56,879.96	39,49,029.91	1,82,35,509.73	
योग:-	20.64204	-	-	3,23,05,291.93	96,51,587.58	1,07,88,739.10	5,27,85,619.61	
करदार द्वारा	10.18986	-	-	2,85,57,088.00	-	-	2,85,57,088.00	
सम्पूर्ण योग:-	30.83190	-	-	6,08,62,379.93	96,51,587.58	1,07,88,739.10	8,13,42,706.61	

A. K. Das

(राम अर्जुन)
मुख्य मन्त्री-आवासीय अधिकारी
गोरखपुर।

कार्यालय: विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०) गोरखपुर।

पूरक अधिकार-पत्र

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1- | राजस्व ग्राम : | खोराबार उर्फ सूबा बाजार। |
| 2- | परगना, तहसील व जिला : | हवेली, सदर व गोरखपुर। |
| 3- | अर्जन निकाय का नाम : | सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर। |
| 4- | योजना का नाम : | गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु। |
| 5- | धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति तिथि : | 22.11.2003 |
| 6- | धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति तिथि : | 27.12.2004 |
| 7- | कब्जा परिवर्तन की तिथि : | 23.12.2021 |
| 8- | कब्जा देने वाले का नाम : | श्री जनार्दन गुप्ता, अमीन |


विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं०सं०) गोरखपुर।

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खाता सं०	गाटा सं०	अर्जित किये जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (है० मं०)	अन्य विवरण
1	2	3		4	5
1	खोराबार उर्फ सूबा बाजार	312	804	0.081	
		694	803	0.081	
	कुल योग :-			0.162	

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर


नाम : अनुप कुमार शर्मा
पदनाम : सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण
दिनांक :

प्रतिहस्ताक्षरित।


31/12/21

कब्जा देने वाले का हस्ताक्षर


नाम : जनार्दन गुप्ता
पदनाम : भू०अ० अमीन
दिनांक :

प्रतिहस्ताक्षरित।


विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं०सं०) गोरखपुर।

पूरक अभिनिर्णय

1	बाद सं०	1372ए/2012
2	ग्राम, तप्पा, परगना, तहसील व जिला	खोराबा: उर्फ सूब. बाजार, हवेली, सदर, गोरखपुर
3	अर्जन का नाम	सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4	अव्ययता का प्रयोजन	सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवस्यारीय कालोनी बनाने हेतु भूमि स्थायी अर्जन
5	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	32.358 हे०
5ए.	रथमन आदेश से प्रभावित	0.900 हे०
5बी.	करार नियमावली के अन्तर्गत क्षेत्रफल	10.19896 हे०
5सी.	अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत क्षेत्रफल	20.64204 हे०
5डी.	पूरक अभिनिर्णय का क्षेत्रफल	0.162 हे०
6	क्या जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है।	हाँ
7	क्या 17(1) लागू है	हाँ
8	धारा-4(1)/17 की अधिसूचना की सं०/तिथि	सं० 355/9-आ-3-2003-09एल.ए.-2003 लखनऊ 22 नवम्बर, 2003
प्रकाशन :-		
क- उ०प्र०असाधारण गजट		दिनांक 22.11.2003
ख- दैनिक जागरण मेल		दिनांक 16.12.2003
ग- राष्ट्रीय सहारा		दिनांक 16.12.2003
घ- पब्लिक नोटिस		दिनांक 31.12.2003
9	धारा-8(1)/17 की अधिसूचना की सं०/तिथि	सं० 4852आ/8-3-2003-09एल.ए.-2003 लखनऊ 27 दिसम्बर, 2004
प्रकाशन :-		
क- उ०प्र०असाधारण गजट		दिनांक 27.12.2004
ख- दैनिक जागरण मेल		दिनांक 30.12.2004
ग- राष्ट्रीय सहारा		दिनांक 30.12.2004
घ- पब्लिक नोटिस		दिनांक 30.12.2004
10	अधिकार हस्तान्तरण	03.09.06 व 29.12.06
10ए.	अभिनिर्णय का दिनांक	12.07.2010
11	पूरक अभिनिर्णय का दिनांक	31.08.2012
12	प्रतिकर निर्धारण :-	
क- भूमि का प्रतिकर (करार नि.- 1997)		मु० ---
ख- भूमि का प्रतिकर (अनिवार्य अर्जन से)		मु०- 2,53,533.92
ग- सम्पत्ति का प्रतिकर		मु० ---
घ- 30% सोलेशियम		मु० 76,060.18
ङ- 12% अतिरिक्त प्रतिकर		मु० 0,188.86
च- ब्याज की धनराशि		मु० 22,526.97
सम्पूर्ण योग:-		4,43,309.93
13	भूमि अध्याप्ति लागू	44,331.00
14	पूँजीकृत मूल्य	160.00

अभिनिर्णय का औचित्य

सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु स्थायी रूप से 32.3588 हे० भूमि ग्राम-खोराबार चर्क सूखबाजार, तप्पा व परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जांचोपरान्त शासन के आवासीय एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने आदेश सं० 355/9-आ-3-2003-09एल.ए.-2003 लखनऊ 22 नवम्बर, 2003 को धारा-4 की अधिसूचना जारी की गयी, जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 22.11.03 व दो दैनिक समाचार पत्र गोरखपुर मेल व राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 16.12.03 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 31.12.03 को करायी गयी। इस प्रकार धारा-4 की अन्तिम विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक 31.12.03 को निर्धारित किया गया।

धारा-6 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति सं० 4852आ/8-3-2003-09एल.ए.-2003 लखनऊ 27 दिसम्बर, 2004 को जारी किया गया, जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 27.12.04 व दो दैनिक समाचार पत्र स्वतन्त्र चेतना व राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 30.12.04 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 30.12.04 को करायी गयी। इस प्रकार धारा-6 के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक 30.12.04 निर्धारित किया गया।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करके भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत भूमि की नाप जोख कराई गयी। तत्पश्चात् धारा-9(1) व (3) की आपत्ति की सुनवाई हेतु दिनांक 26.04.05 व दिनांक 27.04.05 नियम करके आपत्ति की सुनवाई की गयी।

चूंकि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17(1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अध्याप्ति निवृत्त से प्राप्त हुआ था। इसलिए नियमानुसार अनुमानित प्रतिकर मु० 13,13,628.90 प्रति हे० के आधार पर सम्बंधित कृषकों को 80 प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर का भुगतान/ऑफर करते हुए भूमि का अधिकार निम्न तिथियों में अध्याप्ति निवृत्त गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को हस्तान्तरित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है -

कब्जा हस्तान्तरण का दिनांक	हस्तान्तरित क्षेत्रफल (हे०में)
03.09.2006	22.071 हे०
29.12.2006	8.770 हे०

योग:-

30.841 हे०

अधिकार हस्तान्तरित क्षेत्रफल के अतिरिक्त कतिपय भू-स्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट योजित की गयी थी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित 0.900 हे० भूमि के अधिकार हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही अभिनिर्णय में शामिल किया गया है। मा० उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका/रि०मि० रिट पिटिशन का विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	वाद सं०/रिट याचिका सं०/वि० अनुज्ञा सं०	न्यायालय का नाम	वादी प्रतिवादी	प्रभावित गाटा सं०
1	2	3	4	5
1	7664/2007	मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	राजन प्रदास बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	949/0.118 में से 0.085 हे०

2	1737/2007	"	आरती राय व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	872/0.016है० 847/0.048है०
---	-----------	---	--	------------------------------

श्रीमती प्रभावती राय पत्नी रामअध्व व रामसूरत पुत्र शिवनन्द, निवासी-खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.11 जिसमें भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-48(1) के अन्तर्गत शासन के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए स्थगित कर दिया गया था, के अनुपालन में याचीगण द्वारा शासन के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। शासन द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए याची के प्रत्यावेदन दिनांक 12.10.11 के आलोक में उभय पक्षों का सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त दिनांक 15.02.12 को प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण शासन द्वारा निरस्त करते हुए एतद्वारा निस्तारित किया गया तथा याचीगण को नियमानुसार शासन द्वारा लिए गये निर्णयों से अवगत कराने के पश्चात अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की गयी।

अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण

शासनादेश सं० 1718/1-13-01-20(124)/01-रा०-13 दिनांक 29.09.2001 के अनुपालन में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का दर निर्धारण करने हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों का बैठक क्रमशः दिनांक 19.12.07 व 15.11.08 को सम्पन्न हुआ। समिति द्वारा अनिवार्य अर्जन एवं करार के अन्तर्गत भुगतान किये जाने हेतु निर्धारित दर जिसकी स्वीकृति मा० आयुक्त महोदय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा प्रदान की जा चुकी है, से सहमत हैं। याचीगण द्वारा करारके अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण किया गया।

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत ग्राम-खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर के गाटा सं० 803 रकबा 0.081है० व गाटा सं० 804 रकबा 0.081है० कुल रकबा 0.162है० भूमि के प्रतिकर की गणना नियमानुसार किया गया।

अधिसूचना संख्या 1 का विवरण	अंश सं०	रा. करी है०	जमीन	अर्ज संख्या सं०	कै०	12 ^म अंश जमीन कुल कै० 1000	अर्ज संख्या	अधिसूचना जिस का अंश सं० है।	गाटा सं० 30.12.08 के दि० 15.03.09 तक जमीन का 18.03.09 के दि० 12.07.11 तक का भुगतान में रखित होने के कारण कै० के दि० की गणना नहीं की गयी है। दि० 12.07.11 के 27.04.12 तक 200दिन कुल 200दिन	गाटा सं० 18.03.12 के जमीन दि० 31.08 12 तक कुल 125दिन	कुल कै०	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29-11-08	8-08	15,69,024.08	2,53,533.87	76,093.18	3,28,594.50	81,188.86	1,76,249.30	1,58,347.80	14,341.30	8,185.87	4,43,509.53	

अतः ग्राम-खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तप्पा व परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला- गोरखपुर में गाटा सं० 803/0.081है० व 804/0.081है० कुल रकबा 0.162है० भूमि का प्रतिकर मु०4,43,309.93रु० निर्धारित



किया गया। यह धनराशि पूर्व में घोषित अभिनिर्णय दिनांक 12.07.2010 में घोषित कुल प्रतिकर की धनराशि 8,13,42,706.61₹0 में जोड़कर पूर्ण योग 8,17,86,016.54 आता है। घोषित किया जाता है।

अध्यापि व्यय— पूरक अभिनिर्णय की धनराशि मु04,43,309.93₹0 का 10 प्रतिशत भूमि अध्यापि व्यय के रूप में अध्यापि निकाय से वसूल कर नियमानुसार राजस्व खाते में जमा किया जायेगा।

पूँजीकृत मूल्य :- पूरक अभिनिर्णय से प्रभावित क्षेत्रफल 0.162हे0 पर अर्जित भूमि के राजस्व का 4.01₹0 का 40 गुना मु0160.00₹0 राज्य सरकार के राजस्व खाते में पूँजीकृत मूल्य के रूप में वसूल कर जमा किया जायेगा।

अतः मैं ओम प्रकाश चौबे, विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी (सं0सं0) गोरखपुर ग्राम-खोराबार उर्फ सूबाबाजार, तथा व परगना-हयेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी 0.162हे0 भूमि का प्रतिकर 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर तथा ब्याज की धनराशि सहित कुल योग मु04,43,309.93₹0 का पूरक अभिनिर्णय घोषित करता हूँ। निर्धारित ब्याज की धनराशि में से नियमानुसार आयकर की कटौती करके सम्बंधित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा। पूरक अभिनिर्णय धनराशि का पूर्व विवरण भू-अर्जन प्रपत्र-11 व अनुसूची-3 में अंकित है, जो अभिनिर्णय का अंग होगा। यह पूरक अभिनिर्णय पूर्व घोषित अभिनिर्णय के साथ पठित होगा तथा अभिनिर्णय का अंग होगा।

दिनांक 31-08-2012

स्थान: गोरखपुर।


(ओम प्रकाश चौबे)
विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी,
(सं0सं0) गोरखपुर

परिशिष्ट-3

राजस्व ग्राम-खोराबार उर्फ सूबा बाजार, तथा व परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर।

धारा-4(1) अन्तिम प्रकाशन दिनांक 31.12.03
कब्जा दिनांक 29.12.2006

दर प्रति हे०	प्रतिकर	30% सोसेशियन	योग	12% अतिरिक्त प्रतिकर कुल दिन 1094	80% प्रतिकर	अवशेष प्रतिकर जिस पर ब्याज देय है।	ब्याज 9% 30.12.06 से दि० 15.03.07 तक 76दिन तथा 16.03.07 से दि० 12.07.11 तक 140 न्यायालय में लम्बित होने के कारण बीच के दिनों की गणना नहीं की गयी है। दि० 13.07.11 से 27.04.12 तक 288दिन कुल 365दिन	ब्याज 15% दि० 28.03.12 से अग्निनिर्णय दि० 31.08.12 तक कुल 125दिन	कुल योग	विवरण
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15,65,024.19	2,53,533.92	76,060.18	3,29,594.10	91,188.85	1,70,246.30	1,59,347.80	14,341.30	8,185.67	4,43,309.93	

21/12/2015
27/12/2015

विशेष धूमे अन्तर्गत अधिकारी,
(सं०सं०)गोरखपुर।

562

न्यायालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन) गोरखपुर
अभिनिर्णय

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | वाद संख्या | 137 / 2002 |
| 2. | ग्राम, तप्पा, परगना, तहसील व जिला का नाम | जंगल सिकरी उर्फ खोराबार, हवेली, सदर, गोरखपुर। |
| 3. | अध्याप्ति निकाय का नाम | सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर। |
| 4. | भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन | सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि का स्थायी अधिग्रहण। |
| 5. | अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल | 38.458 हेक्टेयर |
| 6. | अभिनिर्णय में निहित क्षेत्रफल
(क) अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत
(ख) करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत | 443216 हेक्टेयर
23147833 हेक्टेयर |
| | योग— | 33.758 हेक्टेयर |
| 7. | अन्तर | 4.700 हेक्टेयर |
| 8. | अन्तर का कारण | अभिनिर्णय में वर्णित है। |
| 9. | क्या भूमिअर्जन अधिनियम की धारा-17 के उपबन्ध लागू हैं | हाँ |
| 10. | क्या भूमि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है। | हाँ |
| 11. | धारा-4(1)/17 की अधिसूचना की संख्या/तिथि
प्रकाशन
(क) उ0प्र0 असाधारण गजट
(ख) दैनिक चेतना विचारधारा
(ग) दैनिक राष्ट्र चिन्ह
(घ) पब्लिक नोटिस/मुनादी | संख्या-2277/9-आ-3-2003-03एल0ए0/
2003, लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2004
दिनांक - 09.01.2004
दिनांक - 10.02.2004
दिनांक - 11.02.2004
दिनांक - 10.06.2004 |
| 12. | धारा-6(1)/ की अधिसूचना की संख्या/तिथि
प्रकाशन
(क) उ0प्र0 असाधारण गजट
(ख) दैनिक स्वतंत्र चेतना
(ग) दैनिक आज
(घ) पब्लिक नोटिस/मुनादी | संख्या-125/8-3-2005-03एल0ए0/2003
लखनऊ दिनांक 07.01.2005
दिनांक - 07.01.2005
दिनांक - 11.01.2005
दिनांक - 12.01.2005
दिनांक - 28.01.2005 |

13th

41

13. कब्जा हस्तांतरण की तिथि / क्षेत्रफल	दिनांक	क्षेत्रफल (हे0में)
	03.09.2006	19.458
	29.12.2006	0.180
	27.08.2007	14.018
	16.04.2007	0.102
	योग	33.758 हेक्टर
14. अभिनिर्णय का दिनांक	22.07.2010	
15. निर्धारित प्रतिकर		
भूमि का प्रतिकर		
(क) अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत	मु0	5,30,29,070.78
(ख) 30 % सोलेशियम	मु0	1,59,08,721.23
(ग) 12 % अतिरिक्त प्रतिकर	मु0	1,53,69,405.86
	योग मु0	8,43,07,197.87
(घ) करार के अन्तर्गत	मु0	64,89,093.00
(ङ) परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	मु0	शून्य
	सम्पूर्ण योग मु0	9,07,96,290.87
		या
	मु0	9,07,96,291.00
16. भूमि अर्जन व्यय की धनराशि	मु0	90,79,629.00
17. 12% अति0 प्रतिकर की धनराशि	धारा-4(1) के अंतिम प्रकाशन की तिथि से कब्जा हस्तांतरण की तिथि तक मूल प्रतिकर पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय है।	
18. ब्याज की धनराशि	नियमानुसार देय है।	
19. भू-राजस्व पूँजीकृत मूल्य की धनराशि	$890.15 \times 150 = 1,33,522.50$ रुपये या 1,33,523.00 रुपये	

अभिनिर्णय का औचित्य

सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार, तप्पा व परगना हवेती, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में 38.458 हे0 भूमि स्थायी रूप से अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव इस आशय के साथ प्रेषित किया गया कि उक्त भूमि की विभाग को तुरन्त आवश्यकता है, अतएव भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत पूर्ण कर भूमि का कब्जा उपलब्ध कराया जाय। विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की आवश्यक जाँच के उपरान्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु भूमि अध्याप्ति निदेशालय के माध्यम से 3090 शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा भूमि अर्जन प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त धारा-4(1)/17 की अधिसूचना संख्या-2277/9-आ-3-2003-03-एल0ए0-2003 लखनऊ दिनांक 09.01.2004 निर्गत की गयी, जिसका प्रकाशन 3090 राजकीय असाधारण गजट के अंक दिनांक 09.01.2004 व दो दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक चेतना विचारधारा के अंक दिनांक 10.02.2004 व

1986

विकसित करने में विभिन्न मदों में मु0 12,00,000.00 रुपये खर्च किया गया है। अतएव प्रस्तावित भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाय।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी समस्त अधिग्रहित भूमि का एक मुश्त प्रतिकर करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत करार की कार्यवाही सम्पादित कर प्राप्त किया जा चुका है। अतएव प्रार्थना पत्र तदनुसार निक्षेपित किया जाता है।

श्रीमती बिन्दु गुप्ता पत्नी शिवदयाल ग्राम जंगल बेलवार, तप्पा व परगना हवेली, तहसील सदर, जिला-गोरखपुर द्वारा नियत तिथि के पश्चात् दिनांक 02.07.2005 को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि खसरा संख्या- 405/01 रकबा 0.07 डि0 के चारोतरफ आबादी है अर्जन के फलस्वरूप प्रार्थिनी बेघर हो जायेगी, भूमि बाईपास के किनारे है बस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, चिकित्सालय, अनेकों विद्यालय, महाविद्यालय, विकास कार्यालय, छड़ फैक्ट्री, गैस गोदाम, पाइप फैक्ट्री व अनेकों औद्योगिक संस्थान स्थित है। भूमि की उपयोगिता आवासीय है तथा 50,00,000.00 रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन विक्रय हुआ है। अधिग्रहण हेतु निर्गत अधिसूचना निरस्त होने योग्य है। भूखण्ड अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किया जाय।

प्रतिकर की दर से के सम्बन्ध में प्रार्थिनी द्वारा कोई सहाय प्रस्तुत नहीं किया गया। भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-17 किया जा चुका है। जिसे अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता। अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर निर्धारण भूमि की उपयोगिता की दृष्टिगत किया जायेगा।

सर्वश्री रामनेवास, रामदरश, सोमई आदि द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि खसरा संख्या- 332/1 रकबा 0.17 डि0 भूमि की बावत चक्रबन्दी न्यायालय में वाद विचाराधीन है प्रतिकर का भुगतान वाद के निस्तारण तक किसी को न किया जाय।

अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार उपलब्ध सहायों के अनुरूप सम्बन्धित भू-स्वामी को किया जायेगा।

श्री शिव प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री शरदेन्दु कुमार पाण्डेय निवासी मल्लोव भवन, मियाँबाजार शहर गोरखपुर द्वारा दिनांक 03.10.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि खसरा संख्या- 281मी0 रकबा 1.10 एकड़ जिसके मालिक व भूमिधर श्रीमती शैला पत्नी राधेमोहन उर्फ राधेश्याम निवासी मोहल्ला मुंशी पुलिया इन्दिरा नगर लखनऊ थी, द्वारा कुल कीमत मु0 2,50,000.00 में मु0 2,40,000.00 प्राप्त करके रजिस्टर्ड मुआयदावय प्रार्थी के हक में दिनांक 23.08.2005 को निष्पादित किया गया है, जिसके मुआवजा भुगतान पर रोक लगाया जाय।

प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण शासन द्वारा वर्ष 2004 में निर्गत अधिसूचना द्वारा हो चुका है उसके उपरान्त अधिग्रहित भूमि का क्रय-विक्रय अवैधानिक है, तदनुसार प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 रामलखन द्वारा दिनांक 06.10.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि झूराजी नम्बर 424 रकबा 0.006 तथा आराजी नम्बर 425 रकबा 0.417 हे0 के 1/2 भाग का बयनामा टासे पुत्र छोटक निवासी खोराबार उर्फ सूबाबाजार से अपने पक्ष में कराया है तथा काबिज दाखिल है भूमि का मुआवजा प्रार्थी को दिया जाय।

प्रश्नगत भूमि के प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार उपलब्ध सहाय के सापेक्ष किया जायेगा। प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

19/11

59

श्रीमती आशा देवी द्वारा दिनांक 07.10.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी संख्या- 307 रकबा 2400 वर्गफीट में निवास करते हैं जिसे अधिग्रहण से मुक्त किया जाय।

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत किया जा चुका है अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्रीमती पुष्पावती देवी पत्नी श्री रामप्रकाश तिवारी निवासी जंगल सिकरी उर्फ खोराबार द्वारा दिनांक 07.10.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माटा संख्या-315 रकबा 0.05 डिसिमिल की संक्रमणीय भूमिधर स्वामिनी हैं जिसमें मकान, लिण्टर पक्का बनवाकर परिवार सहित रह रही हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई मकान नहीं है। भूमि अर्जन से मुक्त किया जाय।

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत किया जा चुका है अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्रीमती शांति देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक 14.10.2005 व 18.10.2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी संख्या-317 रकबा 0.05 डि० में मेरा पक्का मकान स्थित है। जिसमें परिवार सहित निवास कर रही हूँ। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई मकान नहीं है। भूमि अर्जन से मुक्त किया जाय।

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत किया जा चुका है अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्रीमती उषा देवी पत्नी रमाकान्त जायसवाल निवासी जंगल सिकरी उर्फ खोराबार जिला गोरखपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि आराजी संख्या-317/318 रकबा 2425 वर्गफुट भूमि गेंदा पुत्र रामनाथ से क्रय किया है जिसमें मकान बनवाकर परिवार सहित निवास कर रही हूँ। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई मकान नहीं है। भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया जाय।

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत किया जा चुका है अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्रीमती लालपरी देवी, श्रीमती निर्मला देवी व श्री टिसुरी सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में धारा-4(1) के प्रकाशन के पूर्व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को बैनामे द्वारा क्रय किया गया है जिसमें रिहायशी मकान बना कर निवास कर रहे हैं जिसका अधिग्रहण विधि सम्मत नहीं है। भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाय।

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत किया जा चुका है अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

श्री कन्हई पुत्र धनुषधारी निवासी जंगल सिकरी उर्फ खोराबार द्वारा दिनांक 25.10.2006 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि खसरा संख्या- 383 मि० रकबा 0.012 हे० वर्ष 1977 में रामदीर पुत्र बनवारी से क्रय करके उसमें पक्का मकान बनवाकर निवास कर रहे हैं जिसे अधिग्रहण से मुक्त किया जाय।

13/11/06

भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत किया जा चुका है अधिग्रहित भूमि अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र निक्षेपित किया जाता है।

चूंकि प्रश्नगत भूमि अर्जन प्रकरण में अर्जन की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत पूर्ण की गयी है अतएव नियमानुसार गोरखपुर से देवरिया राजमार्ग व देवरिया बाई पास पर 100 फीट की गहराई तक भू 19,70,443.35 रुपये व अवशेष भूमि हेतु 13,13,628.90 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अर्जन से प्रभावित कृषकों / भू-स्वामियों को 80 प्रतिशत अग्रिम प्रतिकर आफर, / भुगतान करते हुए अधिग्रहित भूमि का कब्जा निम्न प्रकार अर्जन निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को हस्तगत किया गया है, विवरण निम्नवत है-

कब्जा हस्तांतरण का दिनांक	क्षेत्रफल (हे० में)
03.09.2006	19.458
29.12.2006	0.180
27.01.2007	14.018
16.04.2007	0.402
योग	33.758 हेक्टेयर

अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि में से कब्जे में हस्तगत भूमि के अतिरिक्त कतिपय भूमि स्वामियों द्वारा अपनी भूमि को अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं प्रस्तुत की गयीं जिनमें माननीय न्यायालयों द्वारा पारित स्थगनादेश से प्रभावित क्षेत्रफल 4.323 हे० के कब्जे का हस्तांतरण अर्जन निकाय को नहीं किया गया है और न ही उक्त क्षेत्रफल को अभिनिर्णय में सम्मिलित कर प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं का विवरण निम्नवत है :-

माननीय उच्चतम न्यायालय

क्र० सं०	विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या / पक्षकारों के नाम	स्थगन आदेश की तिथि	खसरा संख्या / क्षेत्रफल (हे० में)	अन्य विवरण
1.	18804 / 2005 श्रीमती बीना गुप्ता व अन्य बनाम सरकार	17.02.2006	283 / 2 1.094 हे० 284 0.085 हे० योग 1.179 हे०	

माननीय उच्च न्यायालय

क्र० सं०	याचिका संख्या / पक्षकारों के नाम	स्थगन आदेश की तिथि	खसरा संख्या / क्षेत्रफल (हे० में)	अन्य विवरण
1.	1655 / 07, श्रीमती उषा सिंह बनाम सरकार	12.01.2007	383 / 1 0.116 हे० 383 / 2 340 / 1 0.404 हे० योग 0.520 हे०	
2.	32437 / 08 राजेन्द्र पुत्र फौजदार, श्रीमती सूर्यावती पत्नी राजेन्द्र बनाम सरकार	07.08.2008	268 / 2 0.261 हे०	

19/11/16

3	63864 / 05 अश्विनी कुमार अग्रवाल बनाम सरकार	03.09.2005	348 / 1	0.188 हे०	
4	5302 / 07 रामनारायन व अन्य बनाम सरकार	02.04.2007	334 334 / 2 योग	0.077 हे० 0.012 हे० 0.089 हे०	
5	5304 / 07 मेसर्स कुमार ड्रिक्स बनाम सरकार	02.04.2007	296	0.288 हे०	
6	11467 / 08 लालबिहारी शर्मा व अन्य बनाम सरकार	27.02.2008 02.07.2008	441 / 1 441 / 2	0.886 हे०	
7	287 / 06 कृष्णानन्द मणि त्रिपाठी बनाम सरकार	04.01.2006	307	0.794 हे०	कमाला पट्टे- 307 एकड़ 0.834 हे० में से 0.040 हे० से सम्बंधित कृषकों द्वारा प्रतिकर अर्जन कर किया गया है।
8	17914 / 06 विरेन्द्र नाथ पाण्डेय बनाम सरकार	31.03.2006			
9	37412 / 06 श्रीमती इसरावती व अन्य बनाम सरकार	18.07.2006	383 / 1 382 / 2 योग	0.012 हे० 0.041 हे० 0.053 हे०	
10	29755 / 06 रामनवल मिश्र बनाम सरकार	25.05.2006	352मी	0.065 हे०	
	योग			3.144 हे०	

स्थगन आदेश से प्रभावित क्षेत्रफल का सम्पूर्ण योग- 4.323 हे०

क्रमांक-8 पर अंकित सि०मि०रि०पि०सं०-11467/08 लालबिहारी शर्मा व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व याचीगण द्वारा सि०मि०रि०पि०सं०-25085/2005 लालबिहारी शर्मा व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में योजित किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक-08.05.2005 / 09.01.2007 / 12.02.2007 के अनुपालन में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ के समक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 17.06.2005 / 17.01.2007 योजित किया गया, जिसका निस्तारण शासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 04 फरवरी, 2008 में किया गया। शासन के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका में निहित भूमि का कब्जा अर्जन निकाय को दिनांक 27.02.2008 में हस्तगत किया गया। तदोपरान्त याचीगण द्वारा पुनः उक्त याचिका संख्या-11467/08 लालबिहारी शर्मा आदि बनाम उ०प्र० राज्य व आदि प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 27.02.2008 को याचीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.02.2008 के साथ कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2008 द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगन आदेश को प्रभावी किया गया है। अतएव माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में याचिका में निहित भूमि का प्रतिकर निर्धारण अभिनिर्णय में नहीं किया गया है।

धारा-9(1) 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु नियत तिथि व उसके पश्चात् सम्बन्धित कृषकों द्वारा अपनी अधिश्रुत भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पूर्व ही कैतिपय कृषकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिकाएं योजित किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आदेश पारित किया गया कि याची अधिश्रुत भूमि को भूमि

रिश्ता

अर्जन अधिनियम की धारा-48 के अन्तर्गत अर्जन से मुक्त करने हेतु प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ के सम्मक्ष प्रस्तुत करें।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिकाओं जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश निर्गत किया गया है के अनुसरण में तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ के सम्मक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया का विवरण निम्नवत है-

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिकारों का नाम	प्रभावित प्लॉट संख्या / क्षेत्रफल हे०	निर्णय का दिनांक	प्रमुख सचिव द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	30506/05	श्री कल्याण नाथ यादव पुत्र श्री कौशल यादव	307, 308, 310 में से 2016 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
2		श्रीमती आशा देवी पत्नी सुरेन्द्र नाथ सिंह	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
3		श्रीमती परमप्राप्ती देवी पत्नी कल्याण देव	0.05 डि०	19.05.05	13.12.06
4		श्री जयप्रकाश तिवारी पुत्र, कंदारनाथ तिवारी	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
5		श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री वीरबहादुर सिंह	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
6		श्री विजय कुमार सिंह पुत्र श्री वीरबहादुर सिंह	2070 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
7		श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी चन्द्रमूषण मालवीय	2016 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
8		श्री परमानन्द मिश्र पुत्र जगदेव मिश्र	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
9		श्री योगेन्द्र राय पुत्र काशीनाथ	2145 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
10		श्री अरुण कुमार राय पुत्र बांके राय	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
11		श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्रीकान्त मिश्र	0.16 डि०	19.05.05	13.12.06
12		श्री राजमंगल राय पुत्र गौरीना राय	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
13		श्रीकान्त शाही पुत्र मोहन शाही	2145 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
14		श्री रामनाथ सिंह पुत्र कमला सिंह	2800 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
15		श्री संजय कुमार राय पुत्र महेश राय	2400 वर्गफुट	19.05.05	13.12.06
16	05145/05	श्री शिव सेवक पुत्र रामदत्ता	294/2, 0.410 हे० 294/2, 0.257 हे० 295/2, 0.002 हे०	06.10.05	-
17		श्रीमती रामरती पत्नी, मेवासात	282/2 0.302 हे० 294/2 0.016 हे०	06.10.05	15.10.06
18	36823/05	श्री रामप्रताप यादव पुत्र मिश्रदत्ता	294/2 0.072 हे०	23.05.05	-

सिंह

19	36823 / 05	श्री रामसेवक पुत्र रामजलान	294 / 1 294 / 2 295 / 2 : 0.083 ₹0	23.05.05	-
20	36209 / 05	श्री रामदुलारे पुत्र रामराज	382मी0 : 0.099 ₹0	23.05.05	-
21	36209 / 05	श्रीमती बरान्ती देवी पत्नी रामप्रसाद	383 / 3मी00.020 ₹0	23.05.05	-
22		श्री दुर्जय सिंह पुत्र हरिनारायण सिंह	382मी0 : 0.021 ₹0	23.05.05	19.01.07
23	36209 / 05	श्रीमती किन्दा गुप्ता पत्नी रामेश्वराम	381 / 1 : 0.010 ₹0 383 / 1मी00.018 ₹0	23.05.05	-
24		श्री धमेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामसमूह शर्मा	382मी0 : 0.099 ₹0	23.05.05	-
25	36540 / 05	श्री रामकवल पाण्डेय पुत्र रामदेव पाण्डेय	352 : 0.086 ₹0	23.05.05	19.01.07
26		श्रीमती रुक्म देवी पत्नी विनोद त्रिपाठी		23.05.05	19.01.07
27		श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी विशम्भर त्रिपाठी		23.05.05	19.01.07
28		श्रीमती गीता देवी पत्नी मणिकान्त		23.05.05	19.01.07
29	36307 / 05	श्री छोटक चर्च छोटकन पुत्र वीरन	354 : 0.266 ₹0	23.05.05	-
30	36270 / 05	श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र बांसदेव	279 : 0.062 ₹0 280 / 1 : 0.010 ₹0	23.05.05	23.01.07
31		श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र कमलनाथ सिंह	280 / 2 : 0.474 ₹0 0.546 ₹0	23.05.05	23.01.07
32		श्री विपिन कुमार सिंह पुत्र अम्बिका सिंह	281 : 0.071 ₹0 282 : 0.246 ₹0 0.317 ₹0	23.05.05	23.01.07
33		श्री देवेन्द्र नाथ राय पुत्र चन्दशेखर राय	312 : 0.703 ₹0	23.05.05	23.01.07
34		श्री दिनेश कुमार सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह	282मी0 : 0.021 ₹0 283 / 2 : 0.019 ₹0	23.05.05	23.01.07
35		श्रीमती किरन पत्नी नारायण सिंह	294 : 0.007 ₹0 0.046 ₹0	23.05.05	23.01.07
36		श्रीमती कमलेश सिंह पत्नी रवीन्द्र सिंह	281 : 0.010 ₹0 282 : 0.066 ₹0	23.05.05	23.01.07
37		श्री राजेश सिंह पुत्र नारायण सिंह	283 / 2 : 0.090 ₹0 0.106 ₹0	23.05.05	23.01.07
38		श्री संजय सिंह पुत्र कमला सिंह		23.05.05	23.01.07
39		श्री रमेश कुमार त्रिपाठी व रामेश कुमार त्रिपाठी पुत्रगण देव त्रिपाठी		23.05.05	23.01.07
40		श्री रामेश्वराम दुबे पुत्र लखन दुबे		23.05.05	23.01.07
41		श्री गीरीशकर द्विवेदी पुत्र कमला द्विवेदी श्री विजय प्रताप सिंह		23.05.05	23.01.07
42		श्री जीवन पुत्र सुखदेव मोर		23.05.05	23.01.07
43		श्री रामकवल पुत्र सुखदेव मोर		23.05.05	23.01.07

19/5/20

55

44	38212 / 05	श्री अमिराम शिवारी पुत्र परशुराम नाथ शिवारी	340 / 1	0.58 डि०	23.05.05	-
45	59923 / 05	श्रीमती नीता देवी पत्नी रामप्रसाद	352	0.020 डि०	09.09.05	-
46	17150 / 05	श्री रामेश्वर सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह	341 345	1.544 डि० 0.506 डि०	06.05.05	22.01.07
47		श्री महादेव सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह			06.05.05	22.01.07
48	38872 / 05	श्री कृष्ण नारायण श्रीवास्तव पुत्र बालदेव शर्मा	307	2400 वर्गफुट	23.05.05	-
49	40385 / 05	श्रीमती सखना लीलादेवी व अना	379 मी० 380	0.010 डि० 0.435 डि०	23.05.05	-
50	40385 / 05	श्रीमती सखना सिलेरिया पत्नी राजेश कुमार	380 मी० 409	0.010 डि० 0.183 डि०	23.05.05	-
51	59923 / 05	श्री सुभाष चन्द मिश्र पुत्र मुनेश्वर मिश्र	352 डि०	0.08 डि०	09.09.05	-
52	70436 / 05	श्री रामसूरत मीर पुत्र जालन्धर मीर	295 मी०	0.005 डि०	14.11.05	-
53	38210 / 05	श्री पंकज कुमार गुप्ता पुत्र प्रेम कुमार	278 डि० 279 डि०	0.030 डि० 0.102 डि०	23.05.05	-
54	55209 / 05	श्री श्यामपाल शर्मा पुत्र बाबू राम शर्मा रामप्रकाश मीर पुत्र मनपति मीर	348	4080 वर्गफुट	12.08.05	23.01.07
55	37292 / 05	श्री अमरेश पाण्डेय पुत्र कपिलदेव पाण्डेय	348	3052 वर्गफुट	23.05.05	-
56	38831 / 05	श्री तिलोकी पुत्र रामउग्र पाण्डेय	318	0.545 डि०	23.05.05	-
57	38831 / 05	श्री बूद पुत्र चन्नी	318	0.06 डि०	23.05.05	-
58	68804 / 05	श्रीमती पुष्पावती देवी पत्नी रामप्रसाद त्रिपाठी	315	0.05 डि०	28.10.05	-
59	68804 / 05	श्रीमती सरोज देवी पत्नी अशोक चौधरी	315	2257 वर्गफुट	28.10.05	-
60		श्रीमती नैना देवी पत्नी बुन्नीलाल	315	2252 वर्गफुट	28.10.05	15.12.06
61		श्रीमती दुर्गावती पाल पत्नी जगदीश पाल	315	0.09 डि०	28.10.05	-
62		श्रीमती एम्मादेवी पत्नी रमाकान्त	317 318	2425 वर्गफुट	28.10.05	-
63		श्री संतोष कुमार पुत्र रामदेव	318	0.05 डि०	28.10.05	-
64		श्रीमती मीरा देवी पत्नी सुभाष	318	0.05 डि०	28.10.05	-
65		श्रीमती ज्ञाना देवी पत्नी राजेन्द्र	317	0.05 डि०	28.10.05	-
66		श्रीमती कुरुम शर्मा पत्नी विरेन्द्र शर्मा	317	0.006 डि०	28.10.05	-
67		श्री हरिशरण गुप्ता पुत्र सन्तु	318	0.10 डि०	28.10.05	-
68		श्री योगेश शर्मा	317 318	0.10 डि०	28.10.05	-

सिद्धि

69	72736/05	श्री मन्ना प्रसाद शर्मा अदि	356 0.017 हे० 257मि० 0.077 हे० 358मि० 0.085 " 359मि० 0.020 " 357मि० 0.101 " 350मि० 0.150 " 359मि० 0.101 " 360 0.032 " 361मि० 0.017 " 362मि० 0.040 " 360मि० 0.014 "	28.11.05	19.01.07
70	49386/05	श्रीमती नन्दमा पत्नी रामदेवत	335मि० 0.019 हे०	18.07.05	02.04.07
71	49386/05	श्री सुदर्शन	335	18.07.05	
72	74002/05	श्रीमती कल्याणी पाण्डेय	307 316 2400वर्गफुट	06.12.05	15.12.06
73	36827/05	श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी जगदीश	405 406 0.06 डि० व 2½ कडी	23.05.06	23.01.07
74	71002/05	श्रीमती लक्ष्मिकरण सिंह पत्नी प्रेमचन्द	331/1 0.77 डि०	18.11.05	19.01.07
75	72737/05	श्रीमती जगदीश शर्मा पत्नी जयराम	382मि० 0.024 हे०	28.11.05	-
76	73888/05	श्रीमती सीमा सिंह पत्नी ओम प्रकाश राजेन्द्र प्रसाद, सोमनन्द प्रसाद पुत्रगण रामबिलास	315 0.05½ डि० 315मि० 0.11 डि०	05.12.05	-
77	74585/05	श्रीमती कूलमती पत्नी राममिलन	315 0.040 डि०	07.12.05	-
78		श्री रामचन्दन पुत्र मिलपूजन प्रसाद	315 0.06 डि०	07.12.05	-
79	74585/05	श्री रामनयन, रामनयन पुत्रगण रामबली	315 0.06 डि०	07.12.05	-
80	73766/05	श्रीमती ममू दूबे पत्नी हरेश मणि दूबे	307 2800वर्गफुट	02.12.05	-
81		श्रीमती सीता पाण्डेय पत्नी भुवनेश्वर पाण्डेय	307 1333.75वर्गफुट	02.12.05	-
82	73766/05	श्री गुलाब चन्द पुत्र शिवपूजन	313 0.207 हे० 314 0.032 हे० 310मि० 0.002 हे०	02.12.05	-
83		श्री चन्द्रिका, रामचन्दर, गनेश पुत्रगण शिवपूजन	312 - 313 - 314 - 315 -	02.12.05	-
84	42509/05	श्री दिनेश्वर चौधे पुत्र रामनाथ चौधे	352 0.403 हे०	25.05.05	-
85	649/06	श्री रामकैवल पुत्र कन्हैया	428मि० 0.164 हे०	06.01.06	-
86		श्रीमती नीलम त्रिपाठी पत्नी प्रवीण कुमार त्रिपाठी	318मि० 0.028 हे०	06.01.06	-
87	649/06	श्रीमती अनुपम जायसवाल पत्नी रमेशचन्द्र जायसवाल	350 0.180हे०	06.01.06	17.08.06

पति

द्वारा स्थगन आदेश पारित न होने के कारण भूमि का कब्जा अर्जन निकाय को हस्तगत किया जा चुका है। अतएव उक्त प्रत्यावेदनों में निहित भूमि को अभिनिर्णय में सम्मिलित कर प्रतिकर का निर्धारण किया गया।

श्री श्याम सुन्दर सराफ पुत्र श्री रामकिशुन सराफ व श्रीमती उमा सराफ पत्नी श्री श्यामसुन्दर सराफ द्वारा अपने अधिग्रहित भूमि जिस पर नियमानुसार धारा-17 के अन्तर्गत अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर भूमि का कब्जा दिनांक 03.09.2006 को अर्जन निकाय को हस्तगत किया जा चुका है के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष सि०मि०रि०पि०सं०- 5728/07 श्री श्याम सुन्दर सराफ व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित कर खसरा संख्या-405 रकबा 0.15 डि०, 411 मि० रकबा 3.00 एकड़ व 438 रकबा 0.045 डि० को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2007 में यथास्थिति बनाये रखने हेतु निर्देश दिया गया। उसके उपरान्त याचीगण द्वारा दिनांक 28.03.2010 को अपनी उक्त अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत करार की कार्यवाही पूर्ण कर एक मुश्त प्रतिकर की धनराशि प्राप्त किया गया। जिससे उक्त याचिका का निस्तारण स्वतः ही हो गया।

राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार तप्पा व परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन होने के कारण भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4(1)/17 व 6(1)/17 की अधिसूचनाओं का प्रकाशन व कब्जा हस्तांतरण की कार्यवाही चकबन्दी आकार पत्र-23 में निहित पुराना खसरा संख्या/क्षेत्रफल के अनुसार पूर्ण किया गया है वर्तमान में उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण (धारा-52 का प्रकाशन) हो चुका है अतएव नियमानुसार अर्जन सम्बन्धी अन्य अग्रिम कार्यवाही पुराने खसरा नम्बर /क्षेत्रफल के साथ नये खसरा नम्बर/क्षेत्रफल के अनुसार किया जा रहा है। पुराने खसरा नम्बर/क्षेत्रफल तथा नया खसरा नम्बर/क्षेत्रफल का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है:-

आकार पत्र 23 के अन्तर्गत अर्जन की कार्यवाही			आकार पत्र 41 के अन्तर्गत विवरण				अर्जित क्षेत्रफल आकार पत्र 23 के अन्तर्गत पर	अर्जित क्षेत्रफल आकार पत्र 41 के अन्तर्गत पर	अन्तर
पत्र संख्या	पुराना गाँव संख्या	क्षेत्रफल (हे०मी०)	नया गाँव संख्या	क्षेत्रफल (हे०मी०)	नये गाँव में शामिल पुराना नम्बर	क्षेत्रफल (हे०मी०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	268 / 1	0.261	573	0.261	268 / 1	0.261	0.261	0.261	-
612	268 / 2	0.261	572	0.261	268 / 2	0.261	0.261	0.261	-
741	283 / 3	1.094	595	1.094	283 / 3	1.094	1.094	1.094	-
136	282मी० 283 / 2मी० 294 / 2मी०	0.003 0.034 0.015	607	0.069	282मी० 283 / 2मी० 294 / 2मी०	0.003 0.036 0.030	0.003 0.034 0.015	0.003 0.034 0.015	-
248	282मी० 283 / 2मी० 294मी०	0.021 0.019 0.007	610	0.264	281 277 283 / 2	0.010 0.087 0.167	0.010 0.087 0.109	0.010 0.087 0.109	294 / 0.007 नये नम्बर में शामिल नहीं है
740	281मी० 282 मी० 283 / 2मी०	0.010 0.066 0.090							
432	282मी० 294 / 2मी०	0.302 0.016	614	0.316	282मी० 294 / 2मी०	0.302 0.016	0.302 0.016	0.302 0.016	-

सिद्ध

54

775	281मी० 282मी०	0.071 0.246	613	0.317	281मी० 282मी०	0.071 0.246	0.071 0.246	0.071 0.246	—
186	280 / 1मी०	0.341	593	0.341	280 / 1मी०	0.341	0.341	0.341	—
562	279मी० 280 / 1 280 / 2मी०	0.062 0.010 0.474	591	0.546	279मी० 280 / 1 280 / 2मी०	0.062 0.010 0.474	0.062 0.010 0.474	0.062 0.010 0.474	—
689ख	280 / 1मी०	0.114	592	0.114	280 / 1मी०	0.114	0.114	0.114	—
479-1	279मी०	0.060	587	0.060	279मी०	0.060	0.060	0.060	—
479-11	334 / 2मी० 335 / 1मी०	0.073 0.009	727	0.082	334 / 2 333 / 1	0.072 0.010	0.073 0.009	0.072 —	वादा संख्या 524 संख्या 0.001 मी को से स्तम्भित नहीं है 0.009 मी 0.001- मी / 1 मी को से स्तम्भित नहीं है
478 / 1	279मी०	0.060	588	0.060	279मी०	0.060	0.060	0.060	—
478 / 2	334 / 2मी०	0.082	726	0.082	334 / 2मी०	0.082	0.082	0.082	—
689	276मी०	0.091	585	0.091	276 / 2मी०	0.091	0.091	0.091	—
720	276मी० 279मी०	0.264 0.095	586	0.359	276मी० 279मी०	0.264 0.095	0.264 0.095	0.264 0.095	—
769	262 / 1मी० 276मी०	0.004 0.178	584	0.182	262 / 1मी० 276मी०	0.004 0.178	0.004 0.178	0.004 0.178	—
760	262 / 1मी० 275 / 2मी०	0.018 0.005	559ख	0.024	262 / 2 —	0.024 —	0.018 —	0.018 —	वादा संख्या- 275 / 2 संख्या 0 006 मी वादा से स्तम्भित नहीं है।
667	262 / 1	0.012	582	0.012	262 / 2 275 / 2	0.009 0.003	0.009 —	0.009 —	वादा संख्या 262 संख्या 0.003 मी वादा से स्तम्भित नहीं है
583ख-1	294 / 2मी० 295 / 2मी०	0.396 0.014	620	0.410	294 / 2मी० 295 / 2मी०	0.396 0.014	0.396 0.014	0.396 0.014	—
583ख-2	294 / 2	0.273	623	0.273	294 / 2	0.273	0.273	0.273	—
583ख-1	294 / 2मी०	0.410	619	0.410	294 / 2	0.410	0.410	0.410	—
583ख-11	294 / 2मी० 295मी०	0.257 0.002	622	0.259	294 / 2मी० 295मी०	0.257 0.002	0.257 0.002	0.257 0.002	—
341	295मी०	0.393	624	0.393	295मी०	0.393	0.393	0.393	—
342	276मी० 279मी०	0.030 0.102	589	0.132	276मी० 279मी०	0.030 0.102	0.030 0.102	0.030 0.102	—
424	296 / 7	0.208	625	0.208	296 / 7	0.208	0.208	0.208	—
583	294 / 1	0.057	610ख	0.354	294 / 1	0.354	0.057	0.057	—
376	284मी०	0.065	589ख	0.099	284मी०	0.099	0.065	0.065	—
सीएस 11 / 12	170 168	0.053 0.016	351 349	0.063 0.016	170 168	0.063 0.016	0.053 0.016	0.053 0.016	—
सीएस 11 / 46	171 172मी०	0.073 0.012	352 353ख	0.073 0.024	171 172मी०	0.073 0.024	0.073 0.012	0.073 0.012	—
सीएस 11 / 43	159मी०	0.049	338	0.182	159मी०	0.182	0.049	0.049	—
सीएस 11 / 36	167मी०	0.008	348	0.028	167मी०	0.028	0.008	0.008	—
714ख	328 / 1मी०	0.242	711	0.242	328 / 1मी०	0.242	0.242	0.242	—
714ग	328 / 1मी०	0.238	712	0.238	328 / 1मी०	0.238	0.238	0.238	—
644	318 / 2 319	0.024 0.009	683	0.093	318 / 2 319	0.024 0.009	0.024 0.009	0.024 0.009	—
643	318मी०	0.300	681	0.300	318मी०	0.300	0.300	0.300	—
642	318मी०	0.299	682	0.299	318मी०	0.299	0.299	0.299	—

13/11/21

120	317मी 318मी	0.039 0.200	680	0.289	317मी 318मी	0.059 0.240	0.039 0.200	0.039 0.240	माला को- 318 सकल 0.020 एकर नले पायल से संश्लेष नहीं है।
605	317मी 318मी	0.065 0.016	679	0.077	317मी 318मी	0.061 0.016	0.065 0.016	0.061 0.016	माला को- 317 सकल 0.004 एकर नले पायल से संश्लेष नहीं है।
727	317मी	0.082	677	0.077	317मी	0.077	0.082	0.077	माला को- 317 सकल 0.006 एकर नले पायल से संश्लेष नहीं है।
874	315मी 316मी	0.359 0.545	675 683	0.359 0.545	315मी 316मी	0.359 0.545	0.359 0.545	0.359 0.545	—
517	308मी 307 / 2मी 316मी 307 / 2	0.006 0.833 0.044 0.001	682 660	0.883 0.020	308मी 307 / 2मी 316मी 307 / 2 308मी	0.006 0.833 0.044 0.010 0.010	0.006 0.833 0.044 0.001 —	0.006 0.833 0.044 0.001 —	—
617-1	315मी 308मी	0.008 0.365	666	0.373	315मी 308मी	0.008 0.365	0.008 0.365	0.008 0.365	—
617-2	409मी 410मी	0.069 0.503	836	0.572	409मी 410मी	0.069 0.503	0.069 0.503	0.069 0.503	—
752-1	409 / 1	0.381	831	0.381	409 / 1	0.381	0.381	0.381	—
752-2	311मी 308मी	0.109 0.014	687	0.276	311मी 308मी	0.282 0.014	0.109 0.014	0.109 0.014	—
392 / 1	308मी 311मी 314मी 315मी	0.014 0.099 0.008 0.004	669	0.125	308मी 311मी 314मी 315मी	0.014 0.099 0.008 0.004	0.014 0.099 0.008 0.004	0.014 0.099 0.008 0.004	—
392-2	380मी 409मी	0.010 0.193	833	0.203	380मी 409मी	0.010 0.193	0.010 0.193	0.010 0.193	—
335-11	318 / 1 320मी 321 / 1	0.004 0.577 0.004	702	0.585	318 / 1 320मी 321 / 1	0.004 0.577 0.004	0.004 0.577 0.004	0.004 0.577 0.004	—
98	321 / 1	0.595	703	0.595	321 / 1	0.595	0.595	0.595	—
2384	312मी	0.088	687	0.310	312मी	0.310	0.088	0.088	—
2384	312 / 1मी	0.077	691	0.077	312 / 1मी	0.077	0.077	0.077	—
101	351	0.146	766	0.146	351	0.146	0.146	0.146	—
119	352मी	0.203	767	0.203	352मी	0.203	0.203	0.203	—
800	352मी	0.203	768	0.203	352मी	0.203	0.203	0.203	—
631	352मी	0.403	769	0.403	352मी	0.403	0.403	0.403	—
190-1	348 / 1	0.188	762	0.188	348 / 1	0.188	0.188	0.188	—
407-1	348 / 1	0.188	761	0.188	348 / 1	0.188	0.188	0.188	—
69	349मी	0.389	763	0.389	349मी	0.389	0.389	0.389	—
351	350मी	0.474	764	0.474	350मी	0.474	0.474	0.474	—
171	342 / 1	0.385	759	0.385	342 / 1	0.385	0.325	0.325	—
447	341 345 / 1मी	0.030 0.546	753	0.576	341 345 / 1मी	0.030 0.546	— 0.506	— 0.506	—
809	341मी	1.674	749	1.674	341मी	1.674	1.544	1.544	—
645	340 / 1मी	0.421	747	0.421	340 / 1मी	0.421	0.421	0.421	—
647	333मी 340 / 1मी	0.004 0.423	746	0.427	333मी 340 / 1मी	0.004 0.423	0.004 0.366	0.004 0.366	—
196	333 / 1	0.728	744	0.680	333 / 1	0.680	0.558	0.558	—
144	334 / 2 333 / 1मी	0.076 0.010	724	0.086	334 / 2 335 / 1मी	0.077 0.009	0.076 0.010	0.076 —	माला को- 333 / 1 सकल 0.010 एकर नले पायल से संश्लेष नहीं है।

446	334 / 2	0.077	730	0.077	334 / 2	0.077	0.077	0.077	—
249M	334 / 2मी	0.031	732	0.031	334 / 2मी0	0.031	0.031	0.031	—
532M	334 / 2मी0	0.011	731	0.011	334 / 2मी0	0.011	0.011	0.011	—
782	334 / 2मी0	0.009	733	0.009	334 / 2मी0	0.009	0.009	0.009	—
229	335 / 1मी0	0.088	721	0.088	335 / 1मी0	0.088	0.088	0.088	—
299M	335 / 1मी0	0.019	722	0.019	335 / 1मी0	0.019	0.019	0.019	—
570	335 / 1	0.107	723	0.107	335 / 1	0.107	0.059	0.059	—
529	336 / 1मी0	0.016	720M	0.016	336 / 1मी0	0.016	0.016	0.016	—
73	337 / 1	0.102	734	0.102	337 / 1	0.102	0.102	0.102	—
838	354मी0	0.262	773	0.268	354मी0	0.262	0.262	0.262	—
	355 / 1मी0	0.006			355 / 1मी0	0.006	0.006	0.006	—
863	354मी0	0.266	772	0.266	354मी0	0.266	0.266	0.266	—
329	356मी0	0.135	787	0.155	356मी0	0.291	0.103	0.103	—
	358मी0	0.020			358मी0	0.020	0.020	0.020	—
585	357मी0	0.104	788	0.090	358मी0	0.017	0.017	0.017	—
	359मी0	0.150			357	0.178	0.178	0.178	—
586	359मी 0	0.161			358मी0	0.085	0.085	0.085	—
	360	0.032			359मी 0	0.331	0.331	0.331	—
	361	0.017			360मी0	0.032	0.032	0.032	—
	362मी0	0.016			361मी0	0.017	0.017	0.017	—
	365मी0	0.014			362मी0	0.016	0.016	0.016	—
121	365मी0	0.017			365मी0	0.014	0.014	0.014	—
	367मी0	0.077			—	—	—	—	—
	368मी0	0.085			—	—	—	—	—
	369मी0	0.020			—	—	—	—	—
44-11	379मी0	0.010	834	0.445	379मी0	0.010	0.010	0.010	—
	380मी0	0.435			380मी0	0.435	0.435	0.435	—
526-1	378मी0	0.065	835	0.310	378मी0	0.065	0.065	0.065	—
	379	0.245			379	0.245	0.245	0.245	—
526-11	426	0.049	912	0.138	426मी0	0.047	0.049	0.047	गलत संख्या- 426 संख्या 0.052, गलत सं- 427 संख्या 0.058, . गलत संख्या- 428 संख्या 0.073 से गलत संख्या में शामिल नहीं है।
	427मी0	0.016			428मी0	0.091	0.164	0.091	—
	428मी0	0.164					0.016		—
787	377मी0	0.040	836	0.788	377मी0	0.040	0.040	0.040	—
	378मी0	0.748			378मी0	0.748	0.748	0.748	—
553-1	376 / 1	0.071	855	0.346	376 / 1	0.071	0.071	0.071	—
	377मी0	0.199			377मी0	0.199	0.199	0.199	—
	411मी0	0.078			411मी0	0.078	0.078	0.078	—
553-11	405 / 1मी0	0.188	876	0.188	405 / 1मी0	0.188	0.188	0.188	—
34	408 / 1	0.249	828	0.249	408 / 1	0.249	0.237	0.237	—
471	408 / 1	0.249	829	0.249	408 / 1	0.249	0.249	0.249	—
35	408 / 2	0.100	827	0.100	408 / 2	0.100	0.092	0.092	—
413	405 / 1मी0	0.331	874	0.332	405 / 1मी0	0.331	0.331	0.331	—
	406 / 3मी	0.001			406 / 3मी	0.001	0.001	0.001	—
405	408 / 2	0.102	872	0.102	406 / 2	0.102	0.102	0.102	—
	406 / 3मी	0.019	873	0.019	406 / 3मी	0.019	0.019	0.019	—
589	405 / 1	0.182	875M	0.122	405 / 1	0.122	0.122	0.122	—
			875M	0.060	405 / 1	0.060	0.060	0.060	—
62	411मी0	1.920	866	1.996	411मी0	1.920	2.005	1.920	गलत सं- 411 संख्या 0.085 से गलत संख्या में शामिल नहीं है।
	412मी0	0.020			412मी0	0.020	0.020	0.020	—
	414मी0	0.030			414मी0	0.030	0.030	0.030	—
	438मी0	0.016			438मी0	0.016	0.016	0.016	—
	439मी0	0.010			439मी0	0.010	0.010	0.010	—

Bthi

140	439	0.237	869	0.237	439	0.237	0.237	0.237	—
843	438मी0	0.182	867	0.182	438मी0	0.182	0.182	0.182	—
166	412मी0 414मी0	0.398 0.094	864	0.492	412मी0 413 / 2मी0 414मी0	0.398 0.001 0.093	0.398 — 0.093	0.398 — 0.093	पारत सी- 413 / 2 लकडा 0.001 री0 नले लकडा री समिति नही री।
167	417मी0 416 / 2 418	0.338 0.024 0.006	861	0.388	417मी0 416 / 2 418	0.338 0.024 0.006	0.338 0.024 0.006	0.338 0.024 0.006	—
97	413 / 2 414	0.297 0.002	863	0.299	413 / 2 —	0.299 —	0.297 —	0.297 —	पारत सी- 414 लकडा 0.002 री0 नले लकडा री समिति नही री।
301	416 / 2मी0	0.057	860	0.057	416 / 2मी0	0.057	0.057	0.057	—
415	416 / 2मी0	0.056	859	0.056	416 / 2मी0	0.056	0.056	0.056	—
516	416 / 2मी0 418मी0	0.033 0.027	858	0.060	416 / 2मी0 418मी0	0.033 0.027	0.033 0.027	0.033 0.027	—
85	418मी0	0.056	869	0.056	418मी0	0.056	0.056	0.056	—
300	418मी0	0.056	868	0.056	418मी0	0.056	0.056	0.056	—
606	418मी0 436मी0	0.115 0.025	860	0.140	418मी0 436मी0	0.115 0.025	0.115 0.025	0.115 0.025	—
607	418मी0 436मी0	0.115 0.025	861	0.140	418मी0 436मी0	0.115 0.025	0.115 0.025	0.115 0.025	—
608	418मी0	0.056	867	0.056	418मी0	0.056	0.056	0.056	—
609	417मी0 436मी0	0.053 0.003	866	0.056	418मी0 436मी0	0.053 0.003	0.053 0.003	— 0.003	पारत सी- 417 लकडा 0.003 री0 नले लकडा री समिति नही री।
610	417मी0 436मी0	0.017 0.037	865	0.054	417मी0 436मी0	0.017 0.037	0.019 0.037	0.017 0.037	पारत सी- 417 लकडा 0.002 री0 नले लकडा री समिति नही री।
653 / 1	417 / मी0 436मी0	0.030 0.160	864	0.190	417 / मी0 436मी0	0.030 0.160	0.030 0.160	0.030 0.160	—
536	441 / 1 441 / 2	0.214 0.007	878	0.221	441 / 1 441 / 2	0.214 0.007	0.214 0.007	0.214 0.007	—
537	441 / 1 441 / 2	0.214 0.007	879	0.221	441 / 1 441 / 2	0.214 0.007	0.214 0.007	0.214 0.007	—
538	441 / 1 441 / 2	0.214 0.007	880	0.221	441 / 1 441 / 2	0.214 0.007	0.214 0.007	0.214 0.007	—
547	441 / 1मी0 441 / 2मी0	0.214 0.009	881	0.223	441 / 1मी0 441 / 2मी0	0.214 0.009	0.214 0.009	0.214 0.009	—
168	418मी0 435मी0 436मी0	0.055 0.603 0.009	887	0.673	418मी0 435मी 436मी0 442मी0	0.045 0.614 0.006 0.009	0.055 0.603 0.006 —	0.045 0.603 0.006 —	पारत सी- 418 लकडा 0.010 पारत सी- 436 लकडा 0.004 री0 नले लकडा री समिति नही री।
49	434मी0 435मी0	0.032 0.009	894	0.041	418मी0 434मी0 435मी0	0.004 0.022 0.014	— — 0.032	— — 0.022	पारत सी- 434 लकडा 0.010 री0 नले लकडा री समिति नही री।
208	434मी0 435मी0	0.037 0.003	1133	0.097	495मी0 496मी0 497मी0	0.043 0.048 0.006	— — —	— — —	पारत सी- 434 लकडा 0.007 री0 नले लकडा री पारत सी- 436 लकडा 0.003 री0 नले लकडा री समिति नही री।
708	424मी0 434मी0 435मी0	0.519 0.126 0.062	909 1134	0.519 0.048	421मी0 424मी0 495मी0	0.028 0.491 0.048	— 0.519 —	— 0.491 —	पारत सी- 421 लकडा 0.006 री0 पारत सी- 436 लकडा 0.006 री0 नले लकडा री समिति नही री।

545

762	434मी०	0.040	893	0.037	418मी० 434मी०	0.006 0.031	— 0.040	— 0.031	गट्टा सं० 434 एकका 0.009 हे० नये समार में समिल गयी है।
442	421मी०	0.057	903	0.108	421मी०	0.102	0.057	0.057	
	423मी०	0.454	908	0.454	422मी०	0.006	—	—	
	451मी०	0.070	—	—	423मी०	0.454	0.454	0.454	
14	422मी०	0.221	907	0.221	422मी०	0.221	0.221	0.221	—
397	422मी०	0.221	905	0.221	422मी०	0.221	0.221	0.221	—
503 - II	424मी०	0.008	911	0.423	424मी०	0.008	0.008	0.008	—
	425मी०	0.417	—	—	425मी०	0.417	0.417	0.417	
164	427मी०	0.020	915	0.039	427मी०	0.020	0.020	0.020	—
	428मी०	0.019	—	—	428मी०	0.019	0.019	0.019	
218	442 / 1	0.385	898	0.382	442 / 1	0.346	0.254	0.254	—
	441मी०	0.008	—	—	441 / 1	0.038	0.008	0.008	
508A	411मी०	0.022	844	0.185	376 / 6	0.185	0.185	0.185	
	376 / 6	0.131	—	—	—	—	—	—	
508B	411मी०	0.020	854	0.736	376 / 3	0.005	0.005	0.005	
	376 / 6	0.133	—	—	376 / 6	0.657	0.656	0.656	
508C	376 / 3	0.005	—	—	411मी०	0.050	0.050	0.050	
	376 / 6	0.148	—	—	412 / 2मी०	0.024	0.024	0.024	
508D	411मी०	0.008	—	—	—	—	—	—	
	412मी०	0.010	—	—	—	—	—	—	
	376 / 6	0.135	—	—	—	—	—	—	
508E	376 / 6	0.145	—	—	—	—	—	—	
	412मी०	0.008	—	—	—	—	—	—	
508F	336 / 6	0.148	—	—	—	—	—	—	
	412 / 2मी०	0.006	—	—	—	—	—	—	
/	383 / 1मी	0.010	803	0.028	383 / 1मी	0.010	0.010	0.010	—
	383 / 2मी	0.018	—	—	383 / 2मी	0.018	0.018	0.018	
396	383 / 2	0.028	805	0.028	383 / 2	0.028	0.028	0.028	—
419	383 / 1	0.020	812	0.116	383 / 1	0.020	0.020	0.020	—
	383 / 2	0.096	—	—	383 / 2	0.096	0.096	0.096	
473	383 / 1	0.012	813	0.053	383 / 1	0.012	0.012	0.012	—
	383 / 2	0.041	—	—	383 / 2	0.041	0.041	0.041	
340	388 / 1मी०	0.052	825	0.052	388 / 1मी०	0.052	0.052	0.052	—
266	383 / 2	0.028	804	0.028	383 / 2	0.028	0.028	0.028	—
82	388 / 1	0.138	824	0.138	388 / 1	0.138	0.065	0.065	—
6	383 / 3मी०	0.012	815क	0.012	383 / 3मी०	0.012	0.012	0.012	—
	383 / 4मी०	0.024	816	0.024	383 / 4मी०	0.024	0.024	0.024	
739	383 / 3मी०	0.020	815ख	0.020	383 / 3मी०	0.020	0.020	0.020	—
99A	382मी०	0.059	822	0.059	382मी०	0.059	0.059	0.059	—
99B	382मी०	0.099	823	0.099	382मी०	0.099	0.099	0.099	—
99C	382मी०	0.099	818	0.099	382मी०	0.099	0.075	0.075	—
99D	382मी०	0.099	819	0.099	382मी०	0.099	0.099	0.099	—
99E	382मी०	0.020	820	0.020	382मी०	0.020	0.020	0.020	—
99F	382मी०	0.020	821	0.020	382मी०	0.020	0.020	0.020	—
63	281मी०	0.616	812	0.619	281मी०	0.619	0.616	0.616	—
247	314मी०	0.060	700	0.060	321मी० 313 / 3मी०	0.011 0.049	0.060	—	गट्टा सं०- 314 एकका 0.060 हे० नये समार में समिल गयी है।
582B	314मी०	0.085	1578 / 869	0.085	411मी०	0.085	0.085	0.085	—

पिछे

703	312मी0 313 / 3 314मी0	0.057 0.155 0.035	693 670	0.205 0.042	312मी0 313 / 3मी0 314मी0	0.057 0.148 0.042	0.057 0.155 0.035	0.057 0.148 0.035	गाटा संख्या- 313 / 3मी0 एकका 0.007 हे० नये नम्बर से सम्मिलित नहीं है।
2384	312 / 1	0.703	685	0.703	312 / 1	0.703	0.703	0.703	—
476	313 / 3 314 318मी0	0.224 0.012 0.004	672 697	0.039 0.202	314मी0 313 / 3 318 / 1मी	0.039 0.199 0.002	0.012 0.184 0.004	0.012 0.184 0.002	गाटा संख्या- 318 / 1 एकका 0 002 हे० नये नम्बर से सम्मिलित नहीं है।
608	313 / 3 318 / 2मी0	0.218 0.022	671	0.039	314 मी0 — 313	0.039 — 0.202	— — 0.218	— — 0.202	गाटा सं- 318 / 3 एकका 0 022 से 313 / 3 एकका 0.018 नये नम्बर से सम्मिलित नहीं है।
109	313 / 1	0.150	695	0.150	313 / 1	0.150	0.150	0.150	—
110	313 / 3 318मी0 321मी0	0.198 0.020 0.021	674 701	0.039 0.199	314मी0 313 / 3मी0 321 / 1मी0	0.039 0.189 0.010	— 0.189 0.021	— 0.189 0.010	गाटा संख्या- 318 एकका 0.005, 313 / 3 एकका 0 008, 321 / 1 एकका 0.001 नये नम्बर से सम्मिलित नहीं है।
136	313 / 3 314 / 2	0.228 0.021	673 699	0.039 0.207	314मी0 313 / 3मी	0.039 0.207	0.021 0.225	0.021 0.207	गाटा सं- 303 / 3 एकका 0 018 नये नम्बर से सम्मिलित नहीं है।
679- I	409 / 1मी0	0.203	832	0.174	409 / 1मी0	0.174	0.203	0.174	गाटा संख्या- 409 / 1 एकका 0.029 नये नम्बर से सम्मिलित नहीं है।
679- II	311मी 308मी0 318मी0	0.085 0.014 0.026	668	0.125	311मी0 308मी0 —	0.111 0.014 —	0.085 0.014 0.026	0.085 0.014 —	गाटा संख्या- 318 एकका 0.026 नये नम्बर से सम्मिलित नहीं है।
171	438मी0	0.182	666	0.182	438मी0	0.182	0.182	0.182	—

उपरोक्त के अनुसार क्षेत्रफल-0.641 हे० मतरूक पाया गया जिसके प्रतिकर का निर्धारण अभिनिर्णय में किया गया है, भुगतान उपलब्ध साध्य के परिपेक्ष्य में पृथक से निर्णय लेकर सम्बन्धित भू-स्वामियों को किया जायेगा।

अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण -

अध्याप्ति की गयी भूमि के प्रतिकर का निर्धारण करने से पूर्व भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1) के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 10.06.2004 से एक वर्ष पूर्व की अवधि में इस ग्राम में निष्पादित समस्त विक्रय पत्रों का संकलन कार्यालय सब रजिस्ट्रार गोरखपुर से कराया गया, इस अवधि में इस ग्राम कुल 130 विक्रय पत्रों का निष्पादन होना पाया गया, जो अनुसूची-2 पर सूचीबद्ध है।

शासनादेश संख्या-1718 / 1-13-01-20(124) / 01-रा-13-29.09.2001 में शासन द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्रतिकर दर निर्धारण समिति की बैठक इस ग्राम में अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर की दर निर्धारण करने हेतु दिनांक 15.11.2008 व 16.11.2008 को आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत इस ग्राम की अनुसूची-2 के क्रमांक-18 पर अंकित विक्रय पत्र को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन कर गोरखपुर से देवरिया राजमार्ग व देवरिया बाईपास मार्ग पर सड़क से सटे 100 फीट की गहराई तक प्रथम बेल्ट हेतु मु० 19,70,443.35 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा शेष अर्जित भूमि द्वितीय बेल्ट हेतु 15 प्रतिशत की कटौती कर मु० 16,74,874.84 रुपये प्रति हेक्टेयर समिति द्वारा निर्धारित किया गया।

18/11/08

जिसका अनुमोदन आयुक्त महोदय गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.12.2008 में प्रदान किया गया।

करार नियमावली-1997 में निहित व्यवस्था के अनुरूप करार की कार्यवाही सम्पादित कर एक मुश्त प्रतिकर भुगतान हेतु गोरखपुर देवरिया राजमार्ग व देवरिया बाईपास मार्ग पर सड़क से 100 फीट की गहराई तक मु0 35,00,000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर व उसके अतिरिक्त शेष भूमि हेतु मु0 28,00,000.00 प्रति हेक्टेयर का दर समिति द्वारा निर्धारित किया गया। जिसका अनुमोदन आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.12.2008 में प्रदान किया गया।

इस प्रकार राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोरबार में अधिग्रहित भूमि हेतु समिति द्वारा अनिवार्य अर्जन व करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत प्रतिकर भुगतान हेतु निर्धारित प्रतिकर की दर जिसका अनुमोदन आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.12.2008 में प्रदान किया गया है, से मैं सहमत हूँ।

सम्पत्ति का प्रतिकर

अधिग्रहित की गई भूमि व उस पर तत्समय स्थित परिसम्पत्तियों सहित का कब्जा हस्तान्तरण की कार्यवाही दिनांक 03.09.2006, 29.12.2006, 27.01.2007 व 16.04.2007 को 33.758 हे0 भूमि गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को किया गया। कब्जे में हस्तागत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या-1053/तेरह-भू-अर्जन/गो0वि0प्रा0/2007-08 दिनांक 08.02.2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि - "कब्जा हस्तांतरण के समय पाये गये निर्माण जिलाधिकारी गोरखपुर से बिना अनुमति प्राप्त किये गये, प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये ही कराये गये हैं, ऐसे अवैध निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण में अवैध निर्माण वाद कायम करके कार्यवाही की जा रही है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि ऐसी परिस्थिति में उक्त निर्माण का मूल्यांकन कराने अथवा प्रतिकर भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है।"

अतः कब्जे में हस्तागत परिसम्पत्तियों के प्रतिकर निर्धारण के सम्बन्ध में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08.02.2008 के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया कि परिसम्पत्तियों के प्रतिकर का निर्धारण एवं वितरण इस स्तर से नहीं किया जायेगा। प्राधिकरण स्वतः ही सम्पत्ति की जाँच करके प्रतिकर निर्धारण एवं भुगतान की कार्यवाही अपने स्तर से पूर्ण करेगा।

करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण -

करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत करार की कार्यवाही पूर्ण कराकर निहित भूमि का प्रतिकर निर्धारण, निर्धारित प्रतिकर की दर प्रथम बेल्ट हेतु मु0 35,00,000.00 रुपये व द्वितीय बेल्ट हेतु मु0 28,00,000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से गणना निम्नवत है।

भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हे0मी)	दर प्रति हेक्टेयर	प्रतिकर की धनराशि	अन्य विवरण
प्रथम बेल्ट	0.011	35,00,000.00	38,500.00	
द्वितीय बेल्ट	2.3037833	28,00,000.00	64,50,583.00	
योग	2.3147833		64,89,083.00	

Bt/2

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण

अनिवार्य अर्जन के लिए समिति द्वारा निर्धारित प्रतिकर की दर प्रथम बेल्ट मु0 19,17,443.35 व द्वितीय बेल्ट हेतु मु0 16,74,874.84 रुपये के आधार पर प्रतिकर की गणना किया गया विवरण निम्नवत है :-

कब्जा हस्तांतरण का दिनांक	भूमि विवरण	का क्षेत्रफल हे0मी0	दर हेक्टर	प्रति मूल प्रतिकर	30 प्रतिशत सोलेशियम	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर	कुल योग
03.09.2006	प्रथम बेल्ट	0.635	19,70,443.35	12,51,231.53	3,75,369.48	3,35,281.49	19,61,882.45
	द्वितीय बेल्ट	16.8052167	16,74,874.84	2,79,49,198.80	82,94,759.04	74,08,469.72	4,33,82,425.56
29.12.2006	प्रथम बेल्ट	-	-	-	-	-	-
	द्वितीय बेल्ट	0.180	16,74,874.84	3,01,477.47	90,443.24	82,376.09	4,84,296.71
27.01.2007	प्रथम बेल्ट	0.500	19,70,443.35	9,85,221.67	2,95,566.50	3,11,276.06	15,92,064.23
	द्वितीय बेल्ट	12.518	16,74,874.84	2,26,40,958.09	67,92,287.43	71,53,352.16	3,65,86,547.68
18.04.2007	प्रथम बेल्ट	0.102	19,70,443.35	2,00,985.22	60,295.56	58,720.43	3,30,001.21
	द्वितीय बेल्ट	-	-	-	-	-	-
	योग	21.4432167	-	5,30,29,070.78	1,59,08,721.23	1,53,69,405.86	8,43,07,197.87

अर्जन हेतु अधिसूचित 38,458 हे0 भूमि में से 4,323 हे0 (1,179 हे0 माननीय उच्चतम न्यायालय व 3,144 हे0 माननीय उच्च न्यायालय) भूमि पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश पारित होने के कारण उक्त भूमि का प्रतिकर निर्धारण नहीं किया गया है। प्रतिकर निर्धारण माननीय न्यायालय के आदेश के समादर पृथक से किया जायेगा। खसरा संख्या- 170 रकबा 0.053 हे0, 169 रकबा 0.016 हे0, 171 रकबा 0.073 हे0, 172मी0 रकबा 0.012 हे0, 156मी0 रकबा 0.049 हे0 व 167 मि0 रकबा 0.008 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.211 हे0 मिलिकयत सरकार होने; गाटा संख्या- 417 में वास्तविक क्षेत्रफल से 0.002 हे0 अधिक प्रकाशन होने, गाटा संख्या- 417 रकबा 0.053 हे0 अर्जन हेतु प्रस्तावित किया गया, परन्तु चकबन्दी से अभिलेख प्राप्त होने पर खसरा संख्या- 418 पाया गया, अतएव क्षेत्रफल 0.053 हे0 का गलत प्रकाशन होने, खसरा संख्या-315 रकबा 0.026 हे0 गलत सम्मिलित कर प्रकाशन कराने, खसरा संख्या- 411 रकबा 0.085 हे0 अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि होने के फलस्वरूप कुल क्षेत्रफल 0.377 हे0 भूमि को अभिनिर्णय से पृथक कर प्रतिकर का निर्धारण नहीं किया गया है। जिसमें से मिलिकयत सरकार का क्षेत्रफल 0.211 हे0 का कब्जा दिनांक 03.09.2006 को गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हस्तागत किया गया है जिसे खण्डित किया जाता है, शासकीय भूमि होने के कारण अर्जन निकाय पुनर्ग्रहण की कार्यवाही सम्पादित कर भूमि प्राप्त करें तदनुसार कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 03.09.2006 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार समिति द्वारा निर्धारित प्रतिकर की दर के अनुसार ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार तथा व परगना हवेली, तहसील सदर जिला-गोरखपुर में अधिग्रहित की गयी भूमि में से 2,31,47,833 हे0 भूमि कशर नियमावली 1997 के अन्तर्गत निर्धारित एक मुश्त दर के अनुसार प्रतिकर की कुल धनराशि 64,89,093.00 रुपये व अनिवार्य अर्जन 31,44,32,167 हे0 हेतु निर्धारित दर के अनुसार मूल प्रतिकर 5,30,29,070.78 रुपये 30 प्रतिशत सोलेशियम मु0 1,59,08,721.23 रुपये व 12 प्रतिशत वार्षिक देय अतिरिक्त प्रतिकर मु0 1,53,69,405.86, कुल मु0 8,43,07,197.87 रुपये तथा सम्पूर्ण योग 9,07,96,290.87 रुपये अर्थात् 9,07,96,291.00 रुपये निर्धारित करता है।

12/11/20

प्रतिकर की कुल अभिनिर्णित धनराशि मु० 9,07,96,291.00 रुपये का 10 प्रतिशत धनराशि मु० 90,79,629.00 रुपये अर्जन निकाय से वसूल कर भूमि अर्जन व्यय की मद में निर्धारित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत कोषागार गोरखपुर में जमा किया जायेगा।

अधियहित भूमि हेतु देय लगान 890.15 रुपये का 150 गुना धनराशि मु० 1,33,523.00 रुपये अर्जन निकाय से वसूल कर भू-राजस्व पूँजीकृत्य मूल्य की मद में निर्धारित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत कोषागार, गोरखपुर में जमा किया जायेगा।

अतः मैं रामअमिलाष विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संयुक्त संगठन गोरखपुर राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार तथा व परगना हवेली तहसील सदर, जिला-गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु अधियहित की गयी 33,758 हे० भूमि (करार नियमावली व अनिवार्य अर्जन) का प्रतिकर 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त प्रतिकर सहित मु० 9,07,96,291.00 रुपये (मु० नौ करोड़ सात लाख छियानवे हजार दो सौ इक्यानवे रुपये) का अभिनिर्णय घोषित करता हूँ। अभिनिर्णित धनराशि में से पूर्व में निर्धारित / वितरित 80 प्रतिशत अनुमानित अग्रिम प्रतिकर की धनराशि को घटाकर 30 प्रतिशत सोलेशियम की धनराशि को जोड़कर कब्जा हस्तांतरण की तिथि से अभिनिर्णय घोषणा की तिथि/प्रतिकर भुगतान की तिथि जो भी पहले हो तक प्रथम वर्ष 09 प्रतिशत व उसके उपरान्त 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय है। निर्धारित ब्याज की धनराशि में नियमानुसार आयकर की कटौती करके सम्बन्धित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। अभिनिर्णित धनराशि का पूर्ण विवरण भूमि अर्जन प्रपत्र-11 व अनुसूची-3 में अंकित है। जो इस अभिनिर्णय का अंग होगा।

Attache

(राम अमिलाष)

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(संयुक्त संगठन) गोरखपुर।

दिनांक- 21 जुलाई, 2010
स्थान - कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।

(राम अमिलाष प्रमाण)

Attache
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(संयुक्त संगठन) गोरखपुर
18/8/2010

(Note : राजस्व ग्राम - जंगल सिकरी उर्फ खोराबार का ब्याज इसी 10 से दे दिया गया है। कब्जा का विवरण अर्क 2 के इस क्र. 12 से 19 से दिया जा सकता है।

अनुसूची-3

बाबत गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा सुनिश्चित विकास योजना के अन्तर्गत आवसीय कालोनी बनाने हेतु राजस्व ग्राम जनसंख्या सिकरी उर्फ खोराबार, तथा व परगना हवेली तहसील सदर जिला-गोरखपुर में भूमि का स्थाई अर्जन।

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण

क्रमांक हस्ताक्षर का दिनांक	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल है०मी०	दर प्रति हैक्टर	मूल प्रतिकर	30 प्रतिशत सालेक्षण	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर	कुल राशि	अन्य विवरण
03.09.2006	प्रधान क्षेत्र	0.635	16,79,443.35	12,51,231.53	3,75,369.46	3,35,261.49	19,61,862.48	प्रा-4(1) की अंतिम तिथि 10.06.04 से क्रमांक दिनांक 03.09.2006 तक 8+5 दिन
	द्वितीय क्षेत्र	16.5052167	16,74,574.84	2,76,48,196.80	82,54,759.04	74,08,466.72	4,33,52,425.56	प्रा-4(1) की अंतिम तिथि 10.06.04 से क्रमांक दिनांक 28.12.2006 तक 832 दिन
28.12.2006	प्रधान क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	प्रा-4(1) की अंतिम तिथि 10.06.04 से क्रमांक दिनांक 28.12.2006 तक 832 दिन
	द्वितीय क्षेत्र	0.180	16,74,574.84	3,01,477.47	90,443.24	82,375.00	4,54,296.71	प्रा-4(1) की अंतिम तिथि 10.06.04 से क्रमांक दिनांक 27.01.2007 तक 361 दिन
27.01.2007	प्रधान क्षेत्र	0.500	16,79,443.35	8,55,221.67	2,55,566.50	3,11,275.06	15,52,064.23	प्रा-4(1) की अंतिम तिथि 10.06.04 से क्रमांक दिनांक 27.01.2007 तक 361 दिन
	द्वितीय क्षेत्र	13.518	16,74,574.84	2,26,40,998.09	67,92,287.43	71,53,302.16	3,65,88,547.68	प्रा-4(1) की अंतिम तिथि 10.06.04 से क्रमांक दिनांक 16.04.2007 तक 1040 दिन
16.04.2007	प्रधान क्षेत्र	0.102	16,79,443.35	2,00,985.22	60,295.56	68,720.43	3,30,001.21	प्रा-4(1) की अंतिम तिथि 10.06.04 से क्रमांक दिनांक 16.04.2007 तक 1040 दिन
	द्वितीय क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	
	योग	31.4432167	-	5,30,29,070.78	1,59,08,721.23	1,53,68,405.86	8,43,07,187.87	

करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण -

प्रधान क्षेत्र	0.011	35,00,000.00	38,500.00		38,500.00	
द्वितीय क्षेत्र	2.3037833	28,00,000.00	64,50,553.00		64,50,553.00	
योग	2.3147833		64,89,093.00		64,89,093.00	
कुल योग	33.756		5,95,18,163.78	1,59,08,721.23	1,53,68,405.86	8,07,96,290.87
प्रधान क्षेत्र	4.323	-	-	-	-	-
अन्य क्षेत्र	0.377	-	-	-	-	-
सम्पूर्ण योग	38.458	-	5,95,18,163.78	1,59,08,721.23	1,53,68,405.86	8,07,96,290.87
						8,07,96,291.00

(प्र) नौ करोड़ सत्तार लाख पचास हजार दो सौ रुपये के बराबर।

हस्ताक्षर अर्जन (सि०स०)

अहमद

(राम अमिताभ)
विशेष भूमि अध्याधिकार अधिकारी
(सि०स०), गोरखपुर।

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

5

522

1. ग्राम का नाम - गोरखपुरी दुर्ग प्रखण्ड
2. परगना, तहसील एवं जिला - हल्द्वारी, मंडल, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - हल्द्वारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4. योजना का नाम - गोरखपुर द्वारा कालापीठ योजना की अर्जित भूमि
5. धारा 4(1)/17/अध्याप्ति विनियम की तिथि - 7-1-2004
6. धारा 6(1)/17/अध्याप्ति की विनियम की तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - अनामिका तिवारी कर्मिका

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को धौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	----------	---

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - अनामिका तिवारी
पद नाम - अवर कर्मिका
दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - अनामिका तिवारी
पद नाम - अवर कर्मिका
दिनांक - 27-1-2007

प्रति हस्ताक्षरित
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

पति पत्नी

51

(5)

52

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - गोला/सिकरी दुर्ग कौरावार
2. परगना, तहसील एवं जिला - रूनेली, 692, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सन्देश, गोरखपुर निकाय प्राधिकरण गोरखपुर
4. योजना का नाम - गोला/सिकरी दुर्ग कौरावार निकाय प्राधिकरण गोरखपुर
5. धारा 4(1)/17/अन्वकी विज्ञापितकी तिथि - 7-1-2004
6. धारा 6(1)/17/अन्वकी की विज्ञापितकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री दुर्गादेवी तिमिल्सिना

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	----------	---

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - श्री. दुर्गादेवी तिमिल्सिना
पद नाम - अर्जन निकाय प्राधिकरण
दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - दुर्गादेवी तिमिल्सिना
पद नाम - अर्जन निकाय प्राधिकरण
दिनांक - 27-1-2007

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
श्री. दुर्गादेवी तिमिल्सिना

विशेष
गोरखपुर निकाय प्राधिकरण
गोरखपुर

727	3174/0	- 005 - 070	1. ટીનકોડ 18'x13' અક્ષત્તા 11'x15' ટીનકોડ 20'5'x15' નો પીનામણ વાડફી વાળ
392	3804/	- 010 - 193 503	મિ. 27 16'5'x11' વાડફી વાળ
101	351	- 146	ટીનકોડ-12 કાચન 25' (મુખે 2 માસ રથેજાકાચન કાચન 10'x10'
119	3524/0	- 203	—
600	352	- 138	- વાડફી વાળ કાચનો 29'x14' (મિ. 10 કાચ 31'x20'5' મિ. 11 કાચનો 39'x20' મિ. 12 કાચનો ટીનકોડ 20'x12' ટીનકોડ 12'x13' નો પીનામણ રીન = 7'x10' વાડફી વાળ - 2 કાચપત્તા 38'x21' વાડફી વાળ - ટીનકોડ 16'x12'
631	3524/0	403	કાચ 35'x20' નાં 5 કાચ વાડફી વાળ કાચનો 50'x13'
402	348/1	- 014 - 028 - 038 - 080	- ટીનકોડ 16'5'x10' વાડફી વાળ 5 પીના વાડફી વાળ કાચનો 5 પીના કાચ ટીનકોડ 40'x95'
447	345/1	- 506	વાડફી વાળ કાચનો 4'x11' કાચનો
009	341/0	1.544	કાચનો વાડફી વાળ
446	334/2	- 077	કાચનો કાચનો કાચનો કાચનો કાચનો કાચનો ટીનકોડ = 32'x16' ટીનકોડ = 32'x13' ટીનકોડ 32'x35' વાડફી વાળ કાચનો
2493	334	- 012	
299	335/1	- 088	ટીનકોડ કાચનો 34'x20' કાચનો
570	335/1	059	ટીનકોડ

પાન પાન

12/11/07

મુખે

મુખે

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. एवम् ग्राम का नाम - गंगोत्री ग्राम, गोरखपुर
2. परगना, तहसील एवं जिला - इन्दौर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - लालच गोपाल (पु) गो (पु)
4. योजना का नाम - ओ.बी.ए.ए. ई.टी. फार्म (पु) ए.बी.ए. (पु) ई.टी. फार्म
5. धारा 4(1)/17/3-बी की विज्ञापित तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3-बी की विज्ञापित तिथि - 2-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री-उमादेव लाल, गोरखपुर

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं.	अर्जित निकाय करने वाली क्षेत्रफल हे. में
---------	--------------	----------	--

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - श्री-उमादेव लाल
पद नाम - ओ.बी.ए.ए. ई.टी. फार्म
दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमादेव लाल
पद नाम - ओ.बी.ए.ए. ई.टी. फार्म
दिनांक - 27-1-2007

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

श्री-उमादेव लाल
ओ.बी.ए.ए. ई.टी. फार्म
गोरखपुर

④

2993	335/1210	- 019	ટીબોડ = 30' x 36' લિનટ = 25' x 17' આગળ માથાની નીચે આગળ કાચી
808	3540 3354	262 - 006 268	—
683	35431	- 266	લિનટ 25' x 10' ટીબોડ 27' x 11'
329	35541 35841	- 102 - 030 - 133	લિનટ = 16'5" x 11'5" આગળ = 94 આગળ 36 આગળ = 6 નીચે = 2 આગળ વેળ = 2 કાચી 2 કાચી ગાંઠ
505	35741 35941	- 101 - 150 - 251	87' x 90 લિનટ 46' x 35' ગાંઠની પીઠ આગળ કાચી = 180 આગળ 900 નીચે = 5 આગળ = 4 ફાઇનાલ - 1 ગોળિયાં 1 કાચી કાચી
506	35941 360 361 36241 36641	- 161 - 032 - 017 - 016 - 014 240	
121	35641 35741 35841 35941	- 017 - 077 - 085 - 030 - 149	
40	37941 38041	- 010 - 435 - 445	કાચી કાચી = 6 ફુટ 3 ઇંચ ટીબોડ = 56 x 10 ટીબોડ = 21 x 11 લિનટ 15' x 10' x 15' x 10' લિનટ 16' x 10'
526	378 37941 42841	- 158 - 164	આગળ 32 ટીબોડ = 11 x 21 આગળ લિનટ 14 x 22 આગળ 25'
787	37741 37841	- 200 071	લિનટ આગળ 56 x 13'
553	37641 37741 40141	- 199 078	12 + 10 ટીબોડ
5	37641 40141	- 108 - 546	આગળ = 8 કાચી કાચી કાચી કાચી કાચી કાચી

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

519

1. राजस्व ग्राम का नाम - गोरखपुरी अर्ज क्लारवा
2. परगना, तहसील एवं जिला - हनुमती, सदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - हनुमती गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4. योजना का नाम - गोरखपुरी अर्ज क्लारवा विकास प्राधिकरण का निर्माण
5. भाग 4(1)/17/3-एकी विज्ञापित की तिथि - 9-1-2004
6. भाग 6(1)/17/3-बी की विज्ञापित की तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिचालन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री राजेश्वर निकाय, गोरखपुर

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा नं०	अर्जन किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	----------	--

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - जे. एम. पांडेय
पद नाम - उच्च मंत्री
दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर मिश्रा
पद नाम - सूरक्षक, कमी
दिनांक - 27-1-2007

प्रति निदेशिका
अ. 1

नियंत्रक
गोरखपुर - विकास प्राधिकरण

प्रति निदेशिका
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

413	405/1	- 025	મુજબનાં માં ૩૩' ૩૦"
599	405/1	- 182	ભા. ૭૮ ૬૩' x ૧૩'
7	383/1 મા. 383/2 મા.	- 013	નિર્મિત લેખમાં ૧૨' x ૨૮' ડીંગલ ૦ x ૦ ગણતરી.
739	383/2	- 020	અમાર નિર્મિત ગણતરી ૫૦' x ૩૬' ને લેવામાં આવેલી વાળાં માળેવામાં નિર્મિત ૩૦' x ૧૦'
૧૧૭	383 મા.	- ૦૧૧	નિર્મિત ૫૦' x ૫૦' ની ૧૨૪૦ લેખોવામાં
૧૧૬	383 મા.	- ૦૧૧	અમાર નિર્મિત ગણતરી માળેવામાં આવેલી ગણતરી ૨૦' x ૧૨' અમાર નિર્મિત ૨૬' x ૨૨'
238 મા	312/1	- 703	
690	312 મા. 313/3 મા. 314 મા.	- 057 - 148 - 042 - 247	
476	314 મા. 313/2	- 032 - 167 - 200	
* 108	314 મા. 318 મા. 313/3 મા.	- 032 - 042 - 203 - 241	અમાર નિર્મિત ૨૩' x ૧૦' અમાર નિર્મિત ૨૩' x ૧૦' ગણતરી
109	313/1	- 150	અમાર નિર્મિત ૨૩' x ૧૦' ગણતરી અમાર નિર્મિત ૨૩' x ૧૦' ગણતરી
* 110	314 મા. 313/3 મા. 321 મા.	- 032 - 146 - 010 - 238	
* 136	314 મા. 313 મા.	- 033 - 213 - 246	
629	409/1	- 203	આવેલી માળેવામાં ૧૦૦' x ૨૦' માં નિર્મિત ૧૦૬' x ૧૬'






कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल सिकरी इन्फ्रस्ट्रक्चर
2. परगना, तहसील एवं जिला - इन्दौर, छद्द, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सचिव, गोरखपुर सिकर प्रार्थना, गोरखपुर
4. खेती का नाम - जे. एन. ए. 4085 पद नाम - 27-1-2007
5. धारा 4(1)/17/3-सी की विज्ञापित तिथि - 27-1-2007
6. धारा 6(1)/17/3-सी की विज्ञापित तिथि - 27-1-2007
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमादाकर तिवारी, अमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं.	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल सं. में
---------	--------------	----------	---

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

नाम - जे. एन. ए. 4085 पद नाम - 27-1-2007
दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - उमादाकर तिवारी पद नाम - 27-1-2007
दिनांक - 27-1-2007

प्रतिभूति
गोरखपुर

प्रतिभूति
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

(6)

874	315	-774	30' x 34' ની 38' x 12' વિસ્તાર
	316		- વાડીવાળા આંશમાં 12' x 12' વિસ્તાર રીંગોડ 19' x 11' x 11'
			- વાડીવાળા આંશમાં રીંગોડ 22' x 12' 12' x 11'
			- 11' x 11' વિસ્તાર 12' x 11' રીંગોડ 22' x 11'
			નોંધીતવાળા 12' x 11' ફેરવાળા
			- વાડીવાળા આંશમાં વિસ્તાર = 21' x 11' રીંગોડ 11' x 11'
			ફેરવાળા = 1
			વાડીવાળા આંશમાં 12'
			વાડીવાળા વિસ્તાર = 12' x 12'
			વાડીવાળા ગેર વિસ્તાર 13' x 12'
			- 12' x 12' ને રાખેલો 12' x 11' આંશમાં 12' x 11' આંશમાં
			0.556 આંશમાં
517	316	-044	-
647	340/1	235	વાડીવાળા આંશમાં રીંગોડ = 40' x 11' નોંધીત રીંગોડ 11' x 11'
		024	- 11' x 11' ફેરવાળા = 1 નોંધીત 1
156	333/1	-312	-
444	383/1	-051	અમારો 59' x 34' અમારો 110' x 32' રીંગોડ 21' x 11'
			વિસ્તાર 110' x 32' ફેરવાળા 0.180
			વિસ્તાર 59' x 34' ફેરવાળા 19.669
			અમારો 110' x 32' = 0.002
			અમારો 59' x 34' = 0.053
			અમારો 110' x 32' = 0.026
			અમારો 59' x 34' = 0.085
			અમારો 110' x 32' = 14.656
			અમારો 59' x 34' = 3.187
			નોંધીત = 38.450 ફેરવાળા






27/1/07

32
⑧
93

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल सिवरी पूर्व खौराना
2. परगना, सहस्रोल पूर्व जिला - हवेली, सिद्धा, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सार्वजनिक, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4. योजना का नाम - गोरखपुर हाई-फास्टवे का लोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/अध्याप्ति विनियम की तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/अध्याप्ति की विनियम की तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-1-2007
8. कब्जा देने वाले का नाम - उमाशंकर सिन्हा, अमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रम संक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
----------	--------------	----------	---

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - उमाशंकर सिन्हा

पद नाम - उमाशंकर सिन्हा

दिनांक - 27/1/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - उमाशंकर सिन्हा

पद नाम - उमाशंकर सिन्हा

दिनांक - 27-1-2007

उमाशंकर सिन्हा
अमीन

गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

प्रतिहरताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

5830	294/24	- 410	294/24	- 257
	294/24	- 257		
	295	- 002		
		- 669		
424	294/7	- 208	294/7	- 208
			294/7	- 208
			294/7	- 208
			294/7	- 208
583	294/1	- 057		
643	318	- 080	318	- 080
			318	- 080
			318	- 080
			318	- 080
642	318	- 024	318	- 024
		- 028		
120	317	- 026	317	- 026
	318		318	
695	317	- 032	317	- 032
	318	- 008	318	- 008
		- 040		

1. 212
27.1.07

(3) 21. 212

21. 212

21. 212
21. 212
21. 212

(34) X

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर 54
अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल शिकरी उर्फ रणेरागार
2. परगना, तहसील एवं जिला - इटौली, सदर, गोरखपुर।
3. अर्जन निकाय का नाम - स्वामि, गो.वि.ग्रा. - गोरखपुर।
4. योजना का नाम - गो.वि.ग्रा. द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3-ए की विज्ञापित की तिथि - 09-01-2004
6. धारा 6(1)/17/3-डी की विज्ञापित की तिथि - 07-01-2005
7. कब्जा परिचालन की तिथि - 29-12-2006
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, जमीन

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	----------	---

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

नाम -

पद नाम -

दिनांक -

29-12-06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - उमाशंकर तिवारी

पद नाम - भूमि अध्याप्ति जमीन

दिनांक - 29-12-06

प्रतिहाताक्षरित

गोरखपुर विकास अधिकारी

गोरखपुर

प्रतिहाताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रमाणित

351

ग्राहक संख्या

350

क्षेत्रफल

0-180 हेक्टेयर

24.12.84 J.S.

महेश्वर

वीरगढ़ जिला अधिकारी
वीरगढ़

अतिरिक्त
अधीक्षक

अतिरिक्त अधीक्षक
अधीक्षक अधीक्षक
वीरगढ़ जिला, वीरगढ़

532

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - बरहमन सिन्धीदाह (कोटावाँ)
2. परगना, तहसील एवं जिला - बल्लेखी एसडि गोरखपुर
3. अर्जन विभाग का नाम - गोरखपुर विकास प्राधिकरण
4. योजना का नाम - एडिल्टेडिड विकास योजना-सर्जिल गोरखपुर विकास प्राधिकरण
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञप्तिकी तिथि - गोरखपुर जिला आवासीय कार्यों की योजना 1974
6. धारा 6(1)/17/3-बी की विज्ञप्तिकी तिथि - 07-01-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 27-02-2005
8. कब्जा देने वाले का नाम - विकास प्राधिकरण

27/2/05
 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
 गोरखपुर
 गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन विभाग को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसत सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	---------	---

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
 नाम - जे. एन. पांडेय
 पद नाम - सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण
 दिनांक - 27/2/05

प्रतिवादाधिकारी

गोरखपुर विकास प्राधिकरण
 गोरखपुर

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
 नाम - विकास प्राधिकरण
 पद नाम - गोरखपुर विकास प्राधिकरण
 दिनांक - 27/2/05

प्रतिवादाधिकारी
 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
 गोरखपुर

अधिसूचना पत्र

प्रमाण-पत्र (निर्यात) अर्थात् निर्यात परमाणु नमूने का प्रमाण-पत्र (निर्यात)

<u>क्र.सं.</u>	<u>प्रमाण-पत्र</u>	<u>प्रमाण-पत्र</u>	<u>निर्यात परमाणु नमूने का प्रमाण-पत्र</u>
536	$\begin{array}{r} 441 \\ 1 \\ \hline 441 \\ 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} -214 \text{ }^{\circ} \\ -007 \text{ }^{\circ} \\ \hline -221 \text{ }^{\circ} \end{array}$	६० अक्षर अक्षर प्रमाण ६० अक्षर अक्षर ६३० अक्षर अक्षर
537	$\begin{array}{r} 441 \\ 1 \\ \hline 441 \\ 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} -214 \text{ }^{\circ} \\ -007 \text{ }^{\circ} \\ \hline -221 \text{ }^{\circ} \end{array}$	१६ अक्षर अक्षर ३ अक्षर अक्षर २ अक्षर अक्षर १ अक्षर अक्षर
538	$\begin{array}{r} 441 \\ 1 \\ \hline 441 \\ 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} -214 \text{ }^{\circ} \\ -007 \text{ }^{\circ} \\ \hline -221 \text{ }^{\circ} \end{array}$	
847	$\begin{array}{r} 441 \\ 1 \\ \hline 441 \\ 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} -214 \text{ }^{\circ} \\ -009 \text{ }^{\circ} \\ \hline -223 \text{ }^{\circ} \end{array}$	
कुल प्रमाण-पत्र:			०-८८६ अक्षर

अधिसूचना

27/10/88
निर्यात परमाणु नमूने का प्रमाण-पत्र
अधिसूचना, नोकरपुर

27/10/88
(अ.सू.पत्र-4/88)
अ.सू.पत्र (अ.सू.पत्र)

अ.सू.पत्र

अ.सू.पत्र

(3)

31

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - राजारन निवासी ग्राम (बोटावा)
2. परगना, तहसील एवं जिला - बरेली जिला गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - समिते गोरखपुर
4. योजना का नाम - गोरखपुर विभाग द्वारा आवेदन कालोनीकरण
5. धारा 4(1)/17 की विज्ञापित तिथि - 9-1-2005
6. धारा 6(1)/17 की विज्ञापित तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि - 16-4-07
8. कब्जा देने वाले का नाम - विष्णु कुमार शर्मा

(1)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमिक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया करने वाली क्षेत्रफल हे० में
--------	--------------	----------	---

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम - जे. एन. पाण्डेय
पद नाम - सचिव (अभियंता)
दिनांक - 16/4/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - विष्णु कुमार शर्मा
पद नाम - गोरखपुर
दिनांक - 16.4.07

प्रतिष्ठित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

अति हस्ताक्षर
(16/4/07)

अति हस्ताक्षर
(16/4/07)

अधिकार पत्र

श्रीमान अजयलाल शर्मा और छोटा भाई श्रीमान अजयलाल शर्मा

प्लॉट नं०	वाट नं०	क्षेत्रफल	समाप्ति का दिनांक
-----------	---------	-----------	-------------------

73	337/136	0.102	आठवें/वाट नं० 337
----	---------	-------	-------------------

उम्र = 130'

पट्टिका = 130'

प्लॉट = 130'

1/4 अक्षांश 17° 17'

मापन = 110.45

16/4/07

16/4/07

(श्रीमान अजयलाल शर्मा और छोटा भाई)

श्रीमान अजयलाल शर्मा

16/4/07

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

530

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल शिकरी जम खिखार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, सुंदर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - धर्मिण, गोरखपुर मा० - गोरखपुर
4. योजना का नाम - जंगल मा० द्वारा कृषि क्षेत्र को किराये पर लेने के लिए
5. भाग 4(1)/17/3 की विज्ञापित तिथि - 9-1-2004
6. भाग 6(1)/17/3 की विज्ञापित तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा अधिनियम की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, कमी०

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मीके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	----------	---

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - श्री (वि०) 101
पद नाम - 21/9/06
दिनांक - 03/9/06

श्री उमाशंकर तिवारी
कमी०

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम - उमाशंकर तिवारी
पद नाम - भूमि अध्याप्ति अधिकारी
दिनांक - 03-9-2006

प्रतिहरताधिकारी
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

अधिकार पत्र
 ग्राम: जडाक छिन्दी उपखेड़ा रोड वडा हकेकी नं. 651. 251

क्र.सं.	माप	रकबा	प्रमाणित का विवरण
✓ 4	268/1	0.261	वाउ-होम गेट नं. 1245
138	289/1	0.003	—
	283/2	0.034	—
	340/2	0.015	—
479	334/2	0.073	15'x26' मिटर, 15'x13' मीटर, 15'x12' मीटर
	335/2	0.009	—
478	279/1	0.060	—
	334/1	0.003	26'x13' मिटर
650	276/1	0.091	—
720	276/1	0.264	—
	279/1	0.095	—
769	262/1	0.004	—
	276/1	0.178	—
760	262/1	0.018	—
	275/2	0.005	—
✓ 667	262/1	0.012	—
✓ 714	328/1	0.242	—
✓ 714	328/1	0.238	—
✓ 600	318/2	0.024	कासन-12 मीटर-4 मीटर-4 मीटर-2 मीटर-2 मीटर-4
	319/2	0.069	—
643	318/1	0.220	—
642	318/1	0.247	36'x13' मीटर, 13'x13' मीटर, 26'x13' मीटर
120	317/1	0.273	—
	318/1	0.033	—
645	317/1	0.008	—
	318/1	0.008	—
		3.558	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

ग्राम अधिकारी मोरकपुर

अपराधिकारी
 ग्राम अधिकारी मोरकपुर

2



51

- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

અનુસૂચી

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अंशित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	----------	--

विषयार्ण पीछे अधिष्ठित है।

[Signature]

कक्षा लेने वाले के हस्ताक्षर -
नाम - श. (अ. पाठक)
पद नाम - अ. (अ. पाठक)
दिनांक - 02/09/06

कच्चा रंग मिले तो इलाका
नाम - उमरगोत्र लिखाना
पद नाम - खुद का, नाम
दिनांक - 03-9-06

अतिदूरताक्षरेण
विशेष भूमि अन्वेषण अधिकारी
गौराखपुर

20-11-20
 श्री. राजेश
 20-11-20
 20-11-20
 20-11-20

क्रमांक	अवकाश	दोस्त	सामाजिक विभाग
737	317 श्री	-057	—
647.2	315 श्री	-008	रिजिस्ट्रार कार्यालय-9 वेड
	308 श्री	-365	—
647 E	408	-069	—
	410	-503	—
732 I	409/1 श्री	-301 x	का 33/1 नमूना 20-156' 0-156' 30-275' 0-295' पुस्तक अंकित 31/7/21 (संग्रहित) 100 अंकित 10/10/21 लि. 2 = 5' लि. 1 = 1
752 J	311 श्री	-100	—
	308 श्री	-014	—
392 I	308 श्री	-014	—
	311 श्री	-099	—
	314 श्री	-008	—
	315 श्री	-004	—
98	321/1	-545	—
238 D	312/1 श्री	-088	—
238 E	312/1 श्री	-077	—
427	340 श्री	-108	—
69	340 श्री	-389	—
171	342/1	-325	का 3-2 श्री 175' 0-195' 0-230' 0-270' अंकित = 10
144	334/2	-076	—
	333 श्री	-010	—
2495	334/2	-019	—
332-34	334/2	-011	—
782	334/2	-009	—
529	336/1	-016	रिजिस्ट्रार 14/2/10 (संग्रहित) 20/2/10 (संग्रहित) 3/3/10 (संग्रहित)
526 I	378 श्री	-152	—
	379 श्री	—	—
526 E	426 श्री	-049	—
	427 श्री	-016	—
787	377 श्री	-588 x	—
	378 श्री	—	—
		4.158	—

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - जंगल बिक्री का बैलारवार
2. परगना, तहसील एवं जिला - हवेली, बसहर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - रूग्णिय, जोर वि० या० - गोरखपुर
4. योजना का नाम - जोर वि० या० द्वारा छात्राधीन कॉलोनी का निर्माण
5. धारा 4(1)/17/3-ई की विज्ञापित तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3-ई की विज्ञापित तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमेशचंद्र तिवारी, कानूनी

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	----------	---

[Signature]

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर-

नाम - श्री. वि. पांडेय
पद नाम - अध्यक्ष
दिनांक - 22/9/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - उमेशचंद्र तिवारी
पद नाम - अध्यक्ष
दिनांक - 3/9/06

[Signature]
श्री. कानूनी

[Signature]

गोरखपुर

प्रतिनिधित्व
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

✓ 34	408/1.मी०	- 237	सागीर = 1088 शीशम = 27 अमरुद = 1
471	408/1.मी०	- 249	दीदीस = 12' x 18' लिनर नाला नाला = 17' x 15'
38	408/3	- 092	
413	405/1.मी०	- 306	20' x 52' पान (पा नीक) 30' x 18' शीशम रक रिकान
	406/3	- 001	अमरुद = 26 शीशम = 1 कुका पकका = 1 अमरुद = 10
			पापुन = 2 काफिर = 1 लीनर = 1 सागीर = 39
			नदर = 2
405	406/2	- 102	पनिजाल = 7 महुका = 1 नीक = 1 अमरुद = 1 अमरुद = 6
	406/3	- 019	काफिर = 3 शीशम = 3 सागीर = 1 नदर = 2
			नाल कोट = 2
62	411 मी०	- 920	रीन शीशम पाना = 52' x 14' शीशम रक रिकान
	412 मी०	- 020	सागीर = 350 पापुन = 45 काफिर = 5
	414 मी०	- 030	शीशम रक रिकान = 5
	430 मी०	- 016	
	439 मी०	- 010	
140	439	- 237	—
166	412 मी०	- 398	—
	414 मी०	- 094	—
97	413/2	- 297 x	—
	414 मी०	- 002	—
167	417 मी०	- 338	—
	416/2	- 024	—
	418/3	- 006	—
301	416/2	- 057	—
415	416/2	- 056	—
616	416/2	- 033	—
	418 मी०	- 027	—
05	418 मी०	- 056	—
300	418 मी०	- 056	—
606	418 मी०	- 115	—
	436 मी०	- 025	—
607	418 मी०	- 115	—
	436 मी०	- 025	—
608	418 मी०	- 056	—
1618	417 मी०	- 017	—
	436 मी०	- 037	—
168	418	- 035	—
	435	- 603	—
	436 मी०	- 009	—

5-7-40

अमरुद कोट

श्री

श्री

श्री

(3) 24
(3)
50

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. एजन्स ग्राम का नाम - जंगल विन्ध्य की खोखर
2. परगना, तहसील एवं जिला - लखी, बरह, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - सुनि, गोरखपुर
4. योजना का नाम - गोरखपुर जिला स्थायीप कालोनी कारिगी
5. धारा 4(1)/17/3 की विज्ञप्तिकी तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3 की विज्ञप्तिकी तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिचालन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमाशंकर तिवारी, काली

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमिक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किए जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
--------	--------------	----------	--

विवरण पीछे अंकित है।

श्री

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

नाम - 02/9/06

पद नाम - 02/9/06

दिनांक - 02/9/06

श्री

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - उमाशंकर तिवारी

पद नाम - 02/9/06

दिनांक - 02/9/06

प्रतिहरताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

विभाग अधिकारी गोरखपुर

49	434 मी.	-032	—
	435 मी.	-009	
308	434 मी.	-037	मिटर = 27' x 30'
	435 मी.	-003	
708	424 मी.	-519	—
	434 मी.	-126	
	435 मी.	-062	
762	434 मी.	-040	—
443	423 मी.	-450	—
	421 मी.	-057	
14	422 मी.	-221	—
397	422 मी.	-221	—
563	424 मी.	-006	मिटर = 1 मी. - 1
	425 मी.	-417	
164	427 मी.	-020	62' x 25' मिटर के (मिटर और मी.) मी. और मी.
	428 मी.	-019	
568 मी.	411 मी.	-023	मी. और मी. = 12' x 10'
	376/6	-131	मी. और मी. = 12' x 10'
568 मी.	411 मी.	-020	
	376/6	-133	
568 मी.	376/3	-005	
	376/6	-148	
568 मी.	411 मी.	-008	
	412 मी.	-010	
	376/6	-135	
568 मी.	376/6	-145	
	412 मी.	-008	
568 मी.	376/6	-148	
	412 मी.	-006	
7	383/206	-015	—
	383/206		
396	383/2 मी.	-028	मी. और मी. 10' x 12', मी. और मी.
346	388/1	-032	मी. और मी. = 30, मी. और मी.
	3.257		

29/8/66

मिटर और मी.

मी. और मी.

(8) 11
(3) 3

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. ग्राम का नाम - जंगल रिकरी ऊर्षी खोराखर
2. परगना, तहसील एवं जिला - लखी, सहर, गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - स्वेप्ति, गोरखपुर - गोरखपुर
4. योजना का नाम - गोरखपुर द्वारा कृषि विकास कार्यक्रम
5. भाग 4(1)/17/3 की विज्ञापित तिथि - 9-1-2004
6. भाग 6(1)/17/3 की विज्ञापित तिथि - 7-1-2005
7. कच्चा परिवर्तन की तिथि -
8. कच्चा देने वाले का नाम - श्री उमा शंकर तिवारी, लखी

2
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कच्चा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसत सं.	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
----------	--------------	---------	---

विवरण पीछे अंकित है।

कच्चा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - ज. (21.41034)

पद नाम - 3/9/06

दिनांक - 03/9/06

कच्चा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - उमा शंकर तिवारी

पद नाम - 3/9/06

दिनांक - 03/9/06

प्रतिदस्तावेजित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

3/9/2006
विशेष अधिकारी गोरखपुर

(5)

266	303/2	-028	—	
6	303/3	-012	—	
	303/4	-024		
992	302/10	-059	—	341
998	302/10	-020	—	
997	302/10	-020	—	
63	281/1	-616	—	
247	321/10	-011	—	
	313/3/1	-049		
502/1	411/10	-085	—	
679	311/10	-085	—	
	308/10	-014		
371	438/10	-182	—	
341	295/10	-393		निर्माणाधीन भूकान निराल 15'x21' भूकान निराल 35'x66' भूकान निराल 35'x66' वाडूची कान दीन मोटे 55'x15' वाडूची कान भूकान भूकान निराल 36'x66' भूकान निराल (वा) 34'x50' 34'x15' (वा) भूकान मोटे दीन मोटे 12'x18'
335	318/1	-004		ला 30/1 = 320
	320/10	-577		अस = 3
	321/10	-004		किसरा = 1
		2.103		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

आपके अधिकार क्षेत्र पर

आपके अधिकारी
पुनः मजदूर, मोर

(6)
(3)
56

कार्यालय - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर
अधिकार पत्र

1. राजस्व ग्राम का नाम - अजयपुर प्रखण्ड (खंड)
2. परगना, तहसील एवं जिला - बजेली (खंड) गोरखपुर
3. अर्जन निकाय का नाम - गोरखपुर प्रखण्ड
4. योजना का नाम - गोरखपुर प्रखण्ड द्वारा आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु।
5. धारा 4(1)/17/3-एकी विज्ञापित तिथि - 9-1-2004
6. धारा 6(1)/17/3-बी की विज्ञापित तिथि - 7-1-2005
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि -
8. कब्जा देने वाले का नाम - श्री उमा शंकर तिवारी, कालोनी

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं.	अर्जित किया जाने वाली क्षेत्रफल हे० में
---------	--------------	----------	---

विवरण पीछे अंकित है।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

नाम - उमा शंकर तिवारी

पद नाम - गोरखपुर प्रखण्ड

दिनांक - 03/01/06

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम - उमा शंकर तिवारी

पद नाम - गोरखपुर प्रखण्ड

दिनांक - 03/01/06

प्रतिहरताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

विशेष अधिकारी गोरखपुर

843	438.10	-182	मागील-100 मीमी 7 मीमी = 4 मी 3' 5"
699	436.11	-003	मागील-3 वेग-2 मीमी = 2 मी 4' 6"
653	417.10	-030	—
	436.11	-160	—
218	441.10	-008	मागील-14 मी 45' 1 मागील-7 मी 4' 9' 20 मी
	443.10	-254	मागील-14 मी 4' 1 मागील-1 मागील-1
82	388.11	-065	मागील-45 मागील-मागील-मागील
351	350	294	मागील-2 मागील-245' 33' 1 मागील-मागील
			मागील-126
645	340.11	-114	मागील-17' 49.5' मागील-29' 43'
647	333	-004	—
	340.11	-010	—
886	382.10	-026	—
874	315.10	-130	मागील-मागील
517	307.10		
	308.10	-046	—
	316.11		
156	333.11	-246	मागील-1 मागील-1 मागील-1 मागील-1
			मागील-मागील-20' 43' 1 मागील-15' 4'
CH-11	170	-053	—
12	168	-016	—
CH-11	171	-073	—
46	172.10	-012	—
CH-11	156.11	-049	—
45			
CH-11	167.11	-008	—
36			

		1.781	
मागील-2	1-	2.350	मागील-मागील = 14.664
	2-	4.150	मागील-मागील = -002.4
	3-	5.740	मागील-मागील = -053.1
	4-	3.257	मागील-मागील = -026.1
	5-	2.783	मागील-मागील = -005.1
	6-	1.781	मागील-मागील = 10.623.1
		14.669	मागील-मागील = 30.450

मागील-मागील

मागील-मागील

मागील-मागील

मागील-मागील